विद्यालयी अनुशासन के संबंध में गाँधी जी का दिशानिर्देश

रश्मि श्रीवास्तव*

गाँधी जी विद्यालयों में सख्ती से अनुशासन पालन की व्यवस्थाओं के स्थान पर बालकों को स्वत: अनुशासित रहने हेतु प्रेरित किए जाने को महत्वपूर्ण मानते रहे। उन्होंने विद्यालयों में किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाने का विरोध किया। वे इस विषय में सदैव सचेत रहे कि हम जिस व्यवहार की उम्मीद दूसरों से करें उसे सर्वप्रथम स्वयं स्वीकृत भी करें। एक विद्यालय यदि अपने शिक्षार्थियों से नीति-नियमों के पालन किए जाने की उम्मीद करता है तो खुद भी उस पर खरा उतरे और स्वयं व्यवस्थित नीति-नियम का पालन करे। एक शिक्षक यदि अपने विद्यार्थियों को उत्तम आचरण किए जाने का व्याख्यान दे तो स्वयं उस आचरण को शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत भी करे। इससे हमारे विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान स्वत: हो सकेगा। जब तक विद्यालयी व्यवस्थाएँ खुद व्यवस्थित, संयोजित नहीं होतीं, शिक्षक खुद अनुशासनात्मक नीति-नियमों की गीली माटी में हाथों को तर नहीं करता, बालक के अंतर्मन को, उनकी गतिविधियों को आकार दे ही नहीं सकता। हमें अवश्य ही गाँधी जी द्वारा निर्देशित इस मूलमंत्र को अपने विद्यालयों में स्थान देना होगा।

महात्मा गाँधी का संपूर्ण जीवन अनुशासन की मज़बूत डोर में गुँथा दिखाई देता है। वे स्वयं एक अनुशासित जीवन शैली के पक्षधर थे और देश के जन-जन को अनुशासित जीवन अपनाने को प्रेरित किया करते थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अनुशासन को अति महत्वपूर्ण माना और बताया कि हम अपने जीवन मे निर्धारित लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकेंगे जब अनुशासित जीवन जीनें को तत्पर होंगे। उन्होंने स्पष्ट

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (बी.एड.), महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ

कहा कि अनुशासन के बिना कोई स्कूल चल ही नहीं सकता, किंतु यहाँ वे छात्र-छात्राओं पर अनावश्यक अंकुश लगा देना भी उचित नहीं मानते। उन्होंने कहा था ''इन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और शीघ्रतम मार्ग मिलता है। परंतु जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास साथ-साथ न हो और उसी प्रमाण में आत्मा की जाग्रति न होती रहे, तब तक केवल बुद्धि के एकांगी विकास से कुछ विशेष लाभ ना होगा।''[1] आत्मा की जाग्रति का मार्ग उन्होंने संयमी तथा अनुशासित जीवन द्वारा प्राप्त हो सकना सहज माना।

अनुशासन

हम सामान्यत: अनुशासन का अर्थ नियमों के पालन मात्र से लेते हैं, किंतु अनुशासन नियमों का पालन मात्र नहीं है, यह तो एक ताकत है, कार्य करने के लिए उपलब्ध साधन का सदुपयोग है। वास्तव में अनुशासन मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्मनियंत्रण की शक्ति और समाज सम्मत आचार का योग है जो एक व्यक्ति को जीवनपर्यंत सद्‌मार्ग पर रखता है। यह एक बालक को यांत्रिक बना देने की प्रक्रिया नहीं है कि बालक को नियम कायदे बता दिए जाएँ और वह उनका पालन करता जाए। यहाँ नियम पालन में बालक का विश्वास भी शामिल करना होगा। बालक को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वह स्वयं नियम पालन को तत्पर है और उसके पालन हेतु स्वयं के भीतर शक्ति का विकास करे। यह क्रियाकलाप उसके अन्त:करण से नियंत्रित होगा बात तभी बन सकेगी। गाँधी जी ने कहा था हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए। तभी हम कोई बड़ी और स्थायी वस्तु प्राप्त कर सकेंगे और यह अनुशासन कोरी बौद्धिक चर्चा करते रहने से या तर्क और विवेक बुद्धि को अपील करते रहने से नहीं आ सकता। ''अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है और जब उत्साही युवक बिना किसी ढाल के ज़िम्मेदारी से काम उठाएंगे और उसके लिए अपने को तैयार करेंगे, तब वे समझेंगे कि ज़िम्मेदारी और अनुशासन क्या है।''[2]

यहाँ उन्होंने अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच के संबंध की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा, ''आज़ादी के सर्वोच्च रूप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और नम्रता होनी चाहिए, दोनों का अटूट संबंध है। अनुशासन और नम्रता से आई हुई आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। अनुशासन से अनियंत्रित आज़ादी, आज़ादी नहीं है, स्वेच्छाचारिता है उससे स्वयं हमारे और हमारे पड़ोसियों के खिलाफ़ अभद्रता सूचित होती है।''[3]

वास्तव में अनुशासनप्रियता किसी भी देश, समाज और उसके नागरिकों की सबसे अमूल्य निधि है। एक राष्ट्र का अनुशासित जनसमुदाय राष्ट्र की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित बना उसे विकास की गति प्रदान कर सकेगा और विकसित सुव्यवस्थित समाज की व्यवस्थाएँ देश के नागरिकों, देश के बच्चों को सद्‌मार्ग पर बनाए रख सकेंगी। गाँधी जी ने व्यक्ति व समाज की अनुशासित व्यवस्था के इस तालमेल को विद्यालयी जीवन में भी महत्वपूर्ण माना था। उनके द्वारा स्थापित आश्रमों में भी व्यवस्थित अनुशासन नियमों का पालन किए जाने के अनूठे

उपाय दिखाई देते हैं। सुमित्रा गाँधी कुलकर्णी उल्लेख करती हैं, ''चालीस वर्ष के भरे यौवन में गाँधी भाई ने टॉलस्टाय फार्म की स्थापना की। सफल समृद्ध बैरिस्ट्री को सदा के लिए छोड़ दिया और सन्यासी ब्रह्मचारी का जीवन अपना लिया।''[4] इस फ़ार्म में गाँधी जी ने बालकों की शिक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया। गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात 1935 में औपचारिक रूप में कही, किंतु इसका प्रयोग टॉलस्टाय फ़ार्म में वर्षों पूर्व हो चुका था। ''यहाँ विशेष था कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी पर किसी प्रकार की सख्ती न थी। फार्म में यद्यपि हर धर्म और आहार के व्यक्ति थे। सभी लोगों ने स्वेच्छा से शाकाहारी भोजन अपना लिया था।''[5] यहाँ कठिन शारीरिक श्रम, जीवनयापन का आधार था और दान, श्रम व क्रियाओं के द्वारा बच्चे दैनिक जीवन के तमाम तथ्य सीखते जाते थे। ''गाँधी जी विशेष ध्यान देते थे कि प्रत्येक बच्चा अपने धर्म का पालन करे और धर्मग्रंथ से परिचित हो जाए।''[6]

''फार्म का जीवन सादगीपूर्ण था। डेढ़ सौ लोगों की यह एक जीवंत पाठशाला थी। प्रत्येक क्षण जीवन-विकास और संस्कारों से पूरिपूर्ण शिक्षण में बीतता था। गाँधी के तीनों बेटे भी इन्हीं बच्चों के समान काम करते थे। अगर लंबी देर तक यह प्रयोग हो पाते तो शायद टॉलस्टाय फार्म संसार की आदर्श पाठशाला बन जाता लेकिन दो वर्ष के अंत तक कई बच्चों के पिता जेल से लौट आए। धीरे-धीरे डेढ़ सौ की संख्या बीस-पच्चीस ही रह गयी तो टॉलस्टाय फार्म बंद कर बचे हुए बच्चों को गाँधी भाई अपने निवास स्थान फिनिक्स ले गये।''[7]

टॉलस्टाय आश्रम में किए गए इन प्रयासों के संबंध में गाँधी जी ने स्वयं कहा है ''आश्रम में किया हुआ शिक्षा का यह प्रयोग व्यर्थ नहीं गया। इसके फलस्वरूप बालकों में कभी असहिष्णुता की भावना पैदा नहीं हुई। वे एक-दूसरे के धर्म के प्रति और एक दूसरे के रीति-रिवाज़ों के प्रति उदारता रखना सीखें। सभी भाइयों की तरह रहना सीखें। एक-दूसरे की सेवा करना सीखें। सभ्यता सीखें, उद्यमी बनें और आज भी उन बालकों में से जिन-जिन के कार्यों की थोड़ी भी जानकारी मुझे है उनके बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि टॉलस्टाय फार्म में उन्होंने जो कुछ पाया वह बेकार नहीं गया। भले ही यह प्रयोग अधूरा था, फिर भी वह एक विचारपूर्ण और धार्मिक प्रयोग था।''[8]

गाँधी जी द्वारा स्थापित अन्य आश्रमों में भी विद्यार्थियों के लिए अनुशासित जीवन शैली सर्वोपरि रही। रोलां रोमां उल्लेख करते है कि, ''अपने अत्यन्त प्रिय साबरमती आश्रम के लिए उन्होंने जो नियम-कानून बनाए थे उन्हें हमने देखा है। उसमें छात्रों से ज़्यादा शिक्षकों पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षकों को वहाँ सन्यासियों की तरह व्रत करना पड़ता है, लेकिन जहाँ अन्य साधारण आश्रमों में इस तरह के नियम-कानून समय-समय पर अपना अंश खो देते हैं, एक बंधन बन जाते हैं। यहाँ वे आत्मकल्याण और पवित्र प्रेम के द्वारा चित्त को उद्‌बुद्ध करने के लिए सजग रहते हैं।''[9]

गाँधी जी के अनुशासन संबंधी विचारों का आधार भी यही है। वह एक शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के लिए जिस वातावरण के सृजन पर ज़ोर देने की बात करते हैं, जिसमें स्वेच्छा से अनुशासन संबंधी

नीति-नियमों का पालन किया जा सके। विद्यालयी जीवन की यह स्वीकृति आगे चल कर स्वस्थ समाज के निर्माण मे भी सहायक होगी। हम बालक में घर और स्कूल के नियमों के पालन की आदत डालकर उन्हें समाज व देश के नियमों को मानने के लिए तैयार करते हैं। यह एक स्वस्थ समाज का आधार है, यही उसकी मूलभूत ज़रूरत भी।

विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता तथा स्वरूप

शिक्षा का सबसे सहज आशय सीखने की प्रक्रिया से है और विद्यालय इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। सीखने-सिखाने की यह प्रक्रिया किसी एक छोटे घेरे में घूम आने तक सीमित नहीं है। एक बिंदु से शुरुआत कर कुछ तथ्य, कुछ पाठ रट-रटा दिए जाने, विज्ञान के सैद्धांतिक नियमों को समझा दिए जाने, शब्दों, अंको को रटा कर उन पर नंबर दे दिए जाने मात्र से विद्यालय के उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं होता। यहाँ तो मुद्दा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास, सद्गुणों व मूल्यों के विकास का भी है। कक्षा में अव्वल नंबर लाने वाला छात्र यदि कक्षा में उद्दंडता से पेश आता है, शिक्षक का अनादर करता है, आपस के छात्र-छात्राओं से बेहतर मेल नहीं बना पाता, विद्यालयी नियमों का पालन नहीं करता तो व्यवहार संबंधी जटिलताएँ आगे चल कर शैक्षिक उपलब्धियों को भी नकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगी। अत: विद्यालयी कार्यप्रणाली व शैक्षिक प्रक्रिया में अनुशासित व्यवस्थाओं को जगह देनी ही होगी। गाँधी जी के अनुशासन संबंधी विचार इसी ज़रूरत की तरफ़ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस संबंध में इनका दिशानिर्देश देखें –

''अनुशासन और संयम ही हमें पशुओं से अलग करता है। अगर हम सिर ऊँचा करके चलने वाले मनुष्य होना चाहते हैं और चौपाये नहीं बनना चाहते हैं तो हमें यह बात समझ लेनी चाहिए और अपने आप को स्वेच्छा से अनुशासन और संयम में रखना चाहिए।''[10]

विद्यालयों में अनुशासन की ज़रूरत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने इसके उपाय भी बताए जिसकी क्रमबद्ध विवेचना निम्न प्रकार से है –

1. व्यवस्थित विद्यालयी नियम

विद्यालयी अनुशासन को बनाए रखने में सबसे पहली ज़रूरत स्वयं विद्यालयों में नियम-कायदों की निश्चितता व व्यवस्था की है। ज़रा कल्पना करें कि हम अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को अनुशासित रखना चाहते हैं। उन्हें नियत समय पर, निश्चित पोशाक में साफ़-सुथरे तरीके से तैयार हुए विद्यालयी प्रागंण में उपस्थित देखना चाहते हैं। किंतु विद्यालय है कि उसकी दीवारें जालों से भरी, फ़र्श धूल से भरे पड़े हैं, विद्यालयी प्रागंण की नियमित साफ़-सफ़ाई नहीं होती, भवन की आवश्यक मरम्मत नहीं होती। कक्षा में नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है तो होगा क्या? होगा ये कि विद्यालयी दीवारों के ये छोटे-बड़े जाले बालकों के मन-मस्तिष्क पर भी छाप डालेंगे। उनमें भी साफ़-सफ़ाई, समय की पाबन्दी व समय के सदुपयोग की आदतें विकसित न हो सकेंगी। विश्व के सब पदार्थों को, जिनमें सूर्य, चंद्र और तारे भी शामिल हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

इन नियमों के नियंत्रण के बिना दुनिया का काम क्षणभर भी नहीं चल सकता। आपका जीवनोद्देश्य अपने मानव बंधुओं की सेवा करना है। यदि आप अपने पर किसी न किसी तरह का अनुशासन नहीं लगाएँगे तो आपका सर्वनाश ही हो जाएगा।''[11]

गाँधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों में विद्यार्थी व शिक्षकों के लिए निश्चित नियमों में किसी प्रकार की दुविधा ना थी, निर्धारित नियम सभी के लिए एक से थे। उन्होंने अपने आश्रमों में जो नियम दूसरों के लिए बनाए सबसे पहले खुद उनका पालन किया। इस संबंध में कुलकर्णी द्वारा टॉलस्टाय आश्रम की व्यवस्था का उदाहरण देखें —

गाँधी भाई इस फ़ार्म में दो वर्ष ही शायद रहे, लेकिन इतने अल्प समय में ही फ़ार्म का भव्य विकास हो गया। केलनबेक और गाँधी भाई इस आश्रम के प्राण थे। इन दोनों ने प्रिय पेय चाय छोड़ दी। जूते मोज़ों का भी त्याग कर दिया। दिन में पूरे पाँच घंटे कठिन शारीरिक श्रम करते। इसमें लकड़ी चीरना सबसे कठिन काम था। बहुत महीनों बाद में पवनचक्की लगने पर कांवड़ में पानी लाने की ज़रूरत खत्म हो गयी तो उतनी मेहनत से बच सके थे। इन दो वर्षों मे लगभग कोई व्यक्ति न बीमार पड़ा, ना कोई अप्रिय घटना ही घटी, इन लोगों को इस प्रकार चुस्ती से जीवनयापन की आदत नहीं थी। बच्चे अनाड़ी थे, लेकिन डेढ़ सौ लोगों की यह एक जीवंत पाठशाला थी, प्रत्येक क्षण जीवन विकास और संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षण में बीतता था। यहाँ आश्रम की सुव्यवस्थित दिनचर्या, व नीति-नियम ने वहाँ के लोगों को स्वत: अनुशासित कर दिया था।

2. प्रार्थना

रोज़मर्रा के जीवन में की जाने वाली प्रार्थना, भजन, कीर्तन, आदि क्रिया मात्र नहीं हैं। प्रार्थना में लिप्त एक बालक के शांत चेहरे को ध्यानपूर्वक देखें। प्रार्थना की स्वर लहरी से स्वयं उसके मस्तक पर उभरती-मिटती रेखाओं को देखें, बंद आँखों के भीतर की शांति को देखें। यहाँ क्रिया से अधिक भाव और भाव के ऊपर आत्मसात् के चिह्न दिखाई देंगे।

'इतनी शक्ति हमे देना दाता,
मन का विश्वास कमज़ोर हो ना।'

पंक्तियों को गाता हुआ विद्यार्थी अवश्य ही कहीं न कहीं शक्ति के स्रोत के प्रति नतमस्तक व मन को सबल किए जाने को तत्पर होगा। गाँधी जी ने प्रार्थना में निहित इसी ताकत की ओर इशारा करते हुए कहा था, ''जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना आवश्यक है।''[12]

उन्होंने यह भी बताया – ''मुझे इसमे रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि आज हमारा वातावरण जिस लड़ाई-झगड़े से भरा हुआ है, वह हमारी सच्ची प्रार्थना की भावना के अभाव के कारण है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस कथन से असहमत होंगे और कहेंगे कि लाखों हिंदु, मुसलमान और इसाई प्रार्थना करते हैं। मैंने सोचा था कि आप इस प्रकार की शंका उठाएँगे, इसलिए मैंने सच्ची प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। तथ्य यह है कि हम मात्र कंठ हिला कर प्रार्थना करते रहे हैं, और यह मात्र होंठों से प्रार्थना करने के दंभ से बचने के लिए ही है कि हम लोग आश्रम में भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम

श्लोक हर संध्या प्रार्थना में दोहराते हैं। यदि 'आत्मा की समानता' का, जिसका वर्णन इन श्लोकों में है, प्रतिदिन ध्यान करें तो यह निश्चित है कि हमारा हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख होगा।''[13] और ईश्वर की ओर उन्मुख अन्तर्मन सद्मार्ग पर स्वत: बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ''यदि आप छात्रगण अपनी शिक्षा को शुद्ध चरित्र और शुद्ध हृदय की सच्ची नींव पर आधारित करना चाहते हो तो इसके लिए प्रतिदिन नियमपूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना करने से अधिक सहायक और कोई चीज़ नहीं हो सकती है।''[14] अपने विद्यालयों में अवश्य ही प्रार्थना की यह ताकत अपने बच्चों को देनी होगी। प्रार्थना में निहित आध्यात्म का भाव उन्हें सद्मार्ग व स्वानुशासन के लिए प्रेरित करेगा।

3. धार्मिक शिक्षा

धर्म व्यक्ति में उत्तम चरित्र, मूल्यों के विकास, चरित्र की उन्नति व आध्यात्म की अनुभूति से विलक्षणता की प्राप्ति का मार्ग है इसमें कोई दो राय नहीं। प्राचीन भारत में धार्मिक शिक्षा की परंपरा रही है। प्राचीन भारत के गुरुकुलों, बौद्ध-काल के मठों, मुस्लिमकाल के मकतब मदरसों व पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा स्वाभाविक रूप में दी जाती रही है। ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य धार्मिक तटस्थता की नीति देखने को मिली। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी इस नीति को कायम रखा गया। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि धर्म के मूल में निहित नैतिकता व आध्यात्मिकता के विकास के लिए एक बालक किस ओर देखे। तमाम ज्ञान-विज्ञान साहित्य व गणितीय सूत्रों की जानकारी से लैस बालक के मस्तिष्क को एक मशीन बनाकर क्या हम एक बालक के साथ समुचित न्याय कर सकेंगे। उपयुक्त तो यही है कि इन तमाम जानकारी, तमाम ज्ञान-विज्ञान के साथ हम इन बच्चों के अंतर्मन को, इनके दिलों के भीतर छिपे स्थूल तत्व को वह शीतलता भी दें जो आध्यात्म के भाव में विशिष्ट, अति विशिष्ट हो, हमें मनुष्यत्व की ओर उन्मुख करता हो। जिसके भाव से अभिभूत मन किसी बुरे काम को उन्मुख हो ही नहीं सकता। जिससे अभिभूत मन किसी बुरे विचार को आत्मसात् कर ही नहीं सकता। गाँधी जी ने इस संबंध में कहा भी है, ''आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा आशय हृदय की तालीम से है इसलिए मस्तिष्क का ठीक और चहुँमुखी विकास तभी हो सकता है जब वह बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की तालीम के साथ साथ होता है।''[15] भारत में शिक्षा के विकास हेतु गठित विभिन्न आयोगों ने भी इस बात की स्वीकृति दी है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के स्वस्थ प्रावधान किए जाएँ। शिक्षा आयोग ने स्पष्ट कहा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए समेत और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए।

गाँधी जी ने कहा था, ''शरीर मन और आत्मा की विविध शक्तियों में ठीक-ठीक सहकार और सुमेल न होने के दुष्परिणाम स्पष्ट हैं। वे हमारे चारों और विद्यमान हैं, इतना ही है कि वर्तमान विकृत संस्कारों के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते।''[16] बिना आत्मशुद्धि के जीवन सध नहीं सकता। आत्मशुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असंभव है।

अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन पाने में असमर्थ है। अतएव जीवन-मार्ग के सभी क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है। यह शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के बीच ऐसा निकट का संबंध है कि एक की शुद्धि अनेकों की शुद्धि के बराबर हो जाती है।''[17] धर्म से समीपता इस शुद्धि को सहज बना देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

किसी भी समाज में उचित और अनुचित या नैतिक और अनैतिक कार्यों का मानदंड उस समाज का धर्म रहा है। धर्म ने सदैव नैतिकता को बल दिया है, नैतिकता अनुशासित जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। अत: शैक्षिक संस्थाओं में भी धर्म को अनुशासन का आधार बनाए रखने में कोई विशेष हानि दिखाई नहीं देती। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन मे कहा भी था, यदि हम अपनी शिक्षा संस्थाओं से आध्यात्मिक प्रशिक्षण को निकाल देंगे, तो हम अपने संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के विरुद्ध कार्य करेंगे। धर्म और नैतिकता को एक-दूसरे से पृथक करना असंभव है। धर्म का सार नैतिकता है और नैतिकता का आधार धर्म है। नैतिक मूल्यों का विकास धर्म पर विश्वास से स्वत: हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की नैतिक प्रगति उसके धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हमें प्राय: अच्छे कार्य और अच्छे वातावरण की प्रेरणा धर्म से मिलती रही है। गाँधी जी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के माध्यम से इसी प्रेरणा को जीवित रखना चाहते थे।

4. शारीरिक दंड का विरोध

हमारे विद्यालयों में दंडात्मक अनुशासन की व्यवस्था कोई नयी चीज़ नहीं है, कक्षा में शिक्षक जाने-अनजाने दंड का प्रयोग करता रहा है। कक्षा में छड़ी लिए शिक्षक की छवि से हम सभी परिचित हैं, किंतु ज़रा ध्यान से अपने-अपने विद्यार्थी जीवन को याद करें। पतली बाँस की छड़ी के साथ विद्यालयी प्रांगण में खड़े शिक्षक को देख लेने भर से खाली हो जाने वाले रास्तों को याद करें। हममें से कितनों के हाथ पर यह छड़ी पड़ी और कितनों को इस छड़ी के प्रतीकात्मक संदेश मात्र ने नियमों में बाँधे रखा। जिन-जिन हाथों पर यह छड़ी नित-प्रतिदिन पड़ती रही, वे उतने ही उद्दंड, उतने ही कठोर होते गए। जिन्होंने इस छड़ी के प्रतीकात्मक संदेश को स्वीकार किया, वे स्वत: सद्मार्ग पर रहे। कहने का आशय है कि शारीरिक दंड, अनुशासन स्थापना का प्रभावपूर्ण साधन बन सके ऐसा दिखाई नहीं देता। प्राय: शिक्षक की भाव भंगिमा, उसकी आँखों के भावों से दिए गए संदेश, उसकी उपस्थिति मात्र का गौरवपूर्ण संप्रेषण, मन को छू लेने वाली वाणी से छात्र-छात्राएँ, शिक्षक के निर्देशों का पालन कर अनुशासन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यहाँ छड़ी से अधिक छड़ी की उपस्थिति में निहित तिरस्कार का भाव प्रभावी हो उठता है।

गाँधी जी ने विद्यालयों में शारीरिक दंड दिए जाने की व्यवस्था का विरोध किया और कहा ''बच्चों को मार-मार के पढ़ाने के खिलाफ़ मैं हमेशा रहा हूँ।''[18] विद्यार्थी को स्वयं सज़ा देने और उच्च अध्यापक के पास उसे सज़ा के लिए भेजने, इन दोनों में ही हिंसा है, यद्यपि यह प्रश्न पूछा नहीं गया है कि शिक्षक किसी बालक को सज़ा दे सकता है या नहीं, तथापि यह मूल प्रश्न के गर्भ में आ जाता है, मैं ऐसे प्रसंग की कल्पना कर सकता हूँ कि कोमल बालक जब कोई दोष करे,

और उस दोष की खबर उसे हो, तो उसे दंड देने का धर्म प्राप्त होता है, प्रत्येक शिक्षक को अपने धर्म को विचारने की आवश्यकता है। पर सामान्य नियम तो यह है कि शिक्षक कभी भी विद्यार्थी को शारीरिक दंड ना दे।

''यह अधिकार यदि हो तो माता-पिता को भले ही हो सकता है। न्याययुक्त दंड वही कहा जा सकता है जिसे विद्यार्थी स्वयं अंगीकार कर लें। ऐसे प्रसंग बार-बार नहीं आते। यदि आएँ और दंड देना उचित है या नहीं इसमें शंका हो तो वह न दिया जाए।''[19] यहाँ उन्होंने टॉलस्टाय आश्रम में अपने शिक्षण कार्य के समय का एक उदाहरण भी दिया। आश्रम में एक युवक बहुत शरारत करता था। किसी को गिनता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता-झगड़ता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबराया। विद्यार्थियों को मैं कभी सज़ा नहीं देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास गया। मैंने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वह किसी तरह नहीं समझा। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैंने अपने पास खड़ी हुई रूल-पटरी उठाई और उसकी बाँह पर मार दी। मारते समय मैं काँप रहा था यह उसने देख लिया होगा।

ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को मेरी ओर से कभी नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा माँगी। वह इसलिए नहीं रोया कि उसे लकड़ी लगने का दु:ख हुआ। यदि वह मेरा सामना करना चाहता तो उसमें मुझसे निपट लेने की शक्ति थी। उसकी अवस्था 17 वर्ष की रही होगी। उसके शरीर की गठन मज़बूत थी। मगर मेरी रूल-पटरी में उसने मेरी पीड़ा का अनुभव किया। इस घटना के बाद उसने कभी मेरा सामना नहीं किया। मगर मुझे वह रूल-पटरी मारने का पछतावा आज तक है।[20]

अर्थात् यहाँ शिक्षक द्वारा दिए गए दंड से अधिक प्रभाव उस दंड के प्रतीकात्मक संदेश का है। दंड के नाम से हम किसी क्रिया को रोक सकते हैं। उस क्रिया संबंधी विचार को नहीं। हमारी अनुशासित जीवन शैली व व्यवहार सीधे-सीधे विचारों से जुड़े हैं, शिक्षक की डाँट के नाम से एक बालक कक्षा में सीधा बैठा दिखाई देता है, किंतु शिक्षक का मुँह श्यामपट्ट की ओर होते ही वह बगल में बैठे बालक को छेड़ने से बाज़ नहीं आता। आपसी बातचीत से बाज़ नहीं आता। तो क्या वह पाठ को सही प्रकार से समझ सकेगा, ऐसा संभव नहीं दिखता। यहाँ तो एकाग्रता व शांतचित्तता खुद के विचारों से आ सकेगी। विद्यालयी वातावरण, शिक्षक की कार्यप्रणाली, उसके पाठ पढ़ाये जाने के तरीके से यदि बालक के मन में अनुशासित रहने का भाव विकसित हो सकेगा, बात बनेगी तभी। अत: ज़रूरी दिखाई देता है कि विद्यालयी वातावरण में वैयक्तिक अनुशासन पर विशेष ज़ोर दिया जाए।

डंडे के भय से एक बालक को किसी भी असामान्य व्यवहार से रोका तो जा सकता है, उससे मान्य व्यवहार भी कराया जा सकता है, किंतु मान्य व्यवहार की आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न कर सकना प्राय: जटिल है। अत: बेहतर यही है कि विद्यालयी वातावरण व शिक्षक की कार्यपद्धति के मेल से विद्यालयो में ऐसा माहौल बने, जिससे विद्यार्थी स्वत: अनुशासन में रहने हेतु प्रेरित हों। गाँधी जी

ने शारीरिक दंड के साथ-साथ अन्य अपमानजनक दंडात्मक प्रक्रियाओं को भी विद्यालयी परिधि से बाहर किए जाने का विरोध किया और कहा, ''शरीर दंड के सिवाय दूसरे दंड विद्यार्थी को नीचे उतार देना, उससे उठ-बैठ करवाना, अँगूठे पकड़वाना, गाली देना वगैरा है। मेरे विचार से इसमें से कोई भी दंड शिक्षक विद्यार्थियों को न दे।''[21]

5. अनुशासन संबंधी नियमों व स्वतंत्रता का उचित तालमेल

आधुनिक शैक्षिक परिवेश में जटिल अनुशासनात्मक नियमों व सख्ती से उनके पालन के स्थान पर स्वतंत्रता से ग्रहण किए जाने वाली व्यस्थाओं पर, तमाम शिक्षाविदों ने दमनशीलता और विद्यालयी परिवेश में सख्त नियम-कायदों को बालक के स्वाभाविक विकास में बाधक माना है। उनका मानना था कि यदि माता-पिता की उचित देखरेख हो तो भले-बुरे लड़कों के साथ रहने और पढ़ने-लिखने से अच्छे लड़कों की कुछ भी हानि नहीं होती। ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं कि अपने लड़के को तिजोरी में बंद रखने से वे सदाचारी रहते हैं और उससे बाहर निकलने पर दुराचारी हो जाते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जहाँ अनेक प्रकार के लड़कों के साथ लड़कियाँ भी पढ़ती-लिखती और साथ रहती हों, वहाँ माता-पिता और शिक्षक की कड़ी परीक्षा होती है और उन्हें सावधान रहना पड़ता है।[22]

वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता और वास्तविक अनुशासन की ज़रूरत होती है, अत: यह प्रश्न स्वाभाविक है कि विद्यालयों में बच्चों को किस रूप में और कितनी स्वतंत्रता दी जाए और उनसे किस रूप में और कितनी मात्रा में अनुशासन की अपेक्षा की जाए। यहाँ मुख्य रूप से ज़रूरी यही दिखता है कि व्यावहारिक रूप में विद्यालयों में बच्चों को अपने विचार, अभिव्यक्ति बताने की छूट अवश्य होनी चाहिए। यहाँ यह भी ज़रूरी है कि वह शिक्षक के सम्मुख अपनी बात कह सकने में कोई कठिनाई महसूस ना करें। विद्यालयों में ऐसी परिपाटी डाली जाए कि बच्चे एक-दूसरे को देखकर विद्यालय के वातावरण से उत्प्रेरित हों व स्वयं नियम पालन को अग्रसर हों। शिक्षक का प्रयास बच्चों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। गाँधी जी ने कहा था ''आज़ादी के सर्वोच्च रूप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और नम्रता होनी ही चाहिए। दोनों का अटूट संबंध है।''[23]

6. शिक्षक का व्यक्तित्व

शिक्षक का स्वयं का व्यक्तित्व उसकी आँखों का तेज व बालक के साथ उसके तालमेल का इस संदर्भ में कोई दूसरा बराबरी पर खड़ा दिखाई नहीं देता। कक्षा में एक शिक्षक के शिक्षण कार्य के बीच एक बालक पढ़ने को तत्पर नहीं दिखता, ताकझाँक, छेड़छाड़ करने को उत्सुक रहता है, वहीं एक दूसरे शिक्षक की कक्षा में पढ़ने को तत्पर शांत व प्रसन्नचित्त। यह प्रसन्नता उसके व्यवहार में भी दिखती है, यहाँ वह शिक्षक के हर आदेश को तत्परता से मानने को भी तैयार है। तो भेद कहाँ है? भेद है शिक्षक के आचार-विचार उसके विद्यार्थियों के साथ बिठाए गए

तादात्म्य में। विद्यालयी वातावरण में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कक्षानुशासन व एक बालक को अनुशासन व एक बालक को डोर में साध देने में शिक्षक की महत्ता सर्वोपरि है। एक शिक्षक द्वारा अपने व्यक्तित्व व कार्य करने के तरीके के प्रभाव मात्र से छात्र-छात्राओं को अनुशासित कर सकने की संभावना की ओर संकेत करते हुए गाँधी जी कहते हैं– ''आमतौर पर अहिंसा के साथ दंड का मूल नहीं बैठ सकता। ऐसे उदाहरण तो मैं ज़रूर गढ़ सकता हूँ जिनमें दंड को दंड न माना जाए, किंतु ये उदाहरण शिक्षकों के लिए निरर्थक समझना चाहिए। जैसे कोई पिता बहुत ही दुखी हो गया तो और दु:ख में अपने लड़के को पीटे तो वह प्रेम का दंड है। लड़का भी इसे हिंसा नहीं समझेगा। सन्निपात में बकवास करने वाले बीमार को कभी-कभी सेवा करने के लिए सन्निपात वालों को थप्पड़ लगाना पड़ता है। इसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है, किंतु ये उदाहरण शिक्षकों के बिलकुल काम के नहीं हैं। उन्हें मार-पीट किए बिना विद्यार्थियों को पढ़ाने की और अनुशासन में रखने की कला सीखनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों के उदाहरण मौज़ूद हैं जिन्होंने किसी भी दिन अपने विद्यार्थियों को नहीं मारा।''[24]

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में आने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग ना तो शिक्षित है और न ही आर्थिक रूप से सबल, बच्चों के पालन-पोषण की उन्हें उचित जानकारी हो ऐसा नहीं जान पड़ता। ऐसे में बालक अपने घरों में ही तमाम अनुशासनहीन क्रियाकलाप सीख कर आता है। शिक्षक को इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि वह विद्यालय में बालक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लिए एक छात्र को ही दोषी ना माने। वह ततसंबंधी कारण की खोज कर उसके निवारण के उपाय को तत्पर हो तो बात कुछ और ही होगी। अब यहाँ एक छात्र जिसके घर में आए दिन झगड़े हुआ करते हैं, माता-पिता आपस में भद्दी भाषा का प्रयोग किया करते हैं, उस बालक द्वारा विद्यालय प्रांगण में भद्दी भाषा का प्रयोग किए जाने पर एक शिक्षक ने यदि दंड बालक को दिया तो न्याय कहाँ हुआ। यहाँ तो वास्तविक दोषी माता-पिता का खुद का आचरण था। फ़िर दंड बालक को ही क्यों? गाँधी जी ने इस ओर एक शिक्षक को सचेत करते हुए कहा था ''मैं पूरी तरह यह मानता हूँ कि बालक जन्म से बुरा नहीं होता।''[25] अत: एक छात्र द्वारा किए गए किसी भी गलत व्यवहार के पीछे कारण के प्रति भी एक शिक्षक यदि सचेत रहे तो समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकेगा।

स्पष्ट है कि गाँधी जी विद्यालयों में सख्ती से अनुशासन पालन की व्यवस्थाओं के स्थान पर बालकों को स्वत: अनुशासित रहने हेतु प्रेरित किए जाने को महत्वपूर्ण मानते रहे। उन्होंने विद्यालयों में किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाने का विरोध किया। वे इस विषय में सदैव सचेत रहे कि हम जिस व्यवहार की उम्मीद दूसरों से करें, उसे सर्वप्रथम स्वयं स्वीकृत भी करें। एक विद्यालय यदि अपने शिक्षार्थियों में नीति-नियमों के पालन किए जाने की उम्मीद करता है तो खुद भी उस पर खरा उतरे और स्वयं व्यवस्थित नीति-नियम का

पालन करे। एक शिक्षक यदि अपने विद्यार्थियों को उत्तम आचरण किए जाने का व्याख्यान दे तो स्वयं उस आचरण को शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत भी करे और यहाँ हमारे विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान स्वत: हो सकेगा। हम प्राय: जो देखते हैं उसे ही सीखते हैं तो यहाँ भी आस-पास के वातावरण में अनुशासित दिनचर्या छात्र को स्वत: अनुशासित क्रियाकलापों के प्रति प्रेरित करेगी। गाँधी जी ने वर्षों पूर्व भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हेर-फेर से आगे चलकर उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का अनुमान लगाया था। वे जान सके थे कि आने वाले समय में विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के बहाव में साहित्य व सामाजिक विज्ञान विषयों की अनदेखी स्वत: होगी। आध्यात्म के भाव से दूरी, मूल्यों में कमी को जन्म देगी, यही कारण है कि उन्होंने प्रार्थना आदि पर ज़ोर देकर छात्र-छात्राओं को उस भाव से जोड़े रखने की वकालत की जो उनमें सही गलत के बीच के भेद को जान सकने की चेतना जगा सकेगा।

गाँधी जी के उपर्युक्त विचार वर्तमान संदर्भ में अति महत्वपूर्ण तथा व्यावहारिक दिखाई देते हैं। गीली मिट्टी से हाथों को सराबोर किए बगैर उस मिट्टी में उँगलियों के दाब से आकार-प्रकार दिए बगैर खूबसूरत आकृतियाँ नहीं बना करतीं। अत: जब तक विद्यालयी व्यवस्थाएँ खुद व्यवस्थित, संयोजित नहीं होतीं शिक्षक खुद अनुशासनात्मक नीति-नियमों की गीली माटी में हाथों को तर नहीं करता तब तक बालक के अंतर्मन को, उनकी गतिविधियों को आकार दे ही नहीं सकता। हमें अवश्य ही गाँधी जी द्वारा निर्देशित इस गूढ़मंत्र को अपने विद्यालयों में स्थान देना होगा। विद्यालयों से अनुशासनहीनता की समस्या स्वत: समाप्त होगी। हमारे विद्यालय, उनके भीतर का वातावरण और वातावरण में फलते-फूलते बच्चे सब के आकर्षण का केंद्र बन सकेंगे।

टिप्पणी

[1]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *मेरे सपनों का भारत.* राजपाल एंड संस, नयी दिल्ली. पृ. 157.

[2]*यंग इंडिया* - 19.5.1927

[3]*यंग इंडिया* - 03.06.1926

[4]गाँधी, सुमित्र कुलकर्णी. 2008. *महात्मा गाँधी मेरे पितामह*, खंड I. किताबघर प्रकाशन, नयी दिल्ली. पृ. 130.

[5]___. वही ___. पृ. 131

[6]___. वही ___. पृ. 131

[7]___. वही ___. पृ. 131

[8]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *सत्य के प्रयोग.* पृ. 130.

[9]गाँधी महात्मा, रोलां रोमां. 2009. *जीवन और दर्शन.* ओझा प्रफुल्ता चन्द द्वारा अनुवादित. साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली. पृ. 39.

Chapter 8.indd 73 4/28/2017 9:49:07 AM

[10]*गाँधी जी के शैक्षिक विचार*. 1999. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित, नयी दिल्ली. पृ. 36.

[11]___. वही ___. पृ. 136.

[12]*गाँधी के शैक्षिक विचार*. 1999. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित. पूर्व संदर्भित पृ. 129.

[13]___. वही ___. पृ. 131.

[14]___. वही ___. पृ. 130.

[15]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *मेरे सपनों का भारत*. पूर्व संदर्भित. पृ. 157.

[16]___. वही ___. पृ. 197.

[17]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *सत्य के प्रयोग*. पूर्व संदर्भित. पृ. 188.

[18]*गाँधी के शैक्षिक विचार*. 1999. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रकाशित. पूर्व संदर्भित. पृ. 35.

[19]___. वही ___. पृ. 193

[20]___. वही ___. पृ. 34-35

[21]___. वही ___. पृ. 195

[22]___. वही ___. पृ. 131

[23]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *मेरे सपनों का भारत*. पूर्व संदर्भित. पृ. 255.

[24]*गाँधी के शैक्षिक विचार*. 1999. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रकाशित. पूर्व संदर्भित. पृ.195.

[25]गाँधी, मोहनदास करमचन्द. 2008. *मेरे सपनों का भारत*. पूर्व संदर्भित. पृ. 204.

हिंदी चलचित्र में विकलांगता चित्रण
शैक्षिक निहितार्थ

सुधीर कुमार तिवारी*
दीपा मेहता**

सिनेमा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। विकलांगता के प्रति समाज में स्वस्थ संदेश देने के लिए अनेक माध्यमों में साहित्य और फ़िल्में मुख्य भूमिका निभाती हैं। सिनेमा के द्वारा विकलांगता, विकलांगता के प्रकारों, विकलांगता की पहचान, रोकथाम, विकलांगों के समावेशीकरण जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों को समाज के हर स्तर के व्यक्तियों तक संप्रेषित किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। भारतीय फ़िल्म जगत में कई प्रकार की विकलांगता, जैसे–डिस्लेक्सिया, श्रवणबाधिता (Hearing Impairment), मानसिक मन्दता (Mental Retardation), दृष्टिबाधिता (Visual Impairment), अस्थि विकलांगता (Orthopaedical Disability), बहुविकलांगता (Multiple disability), पैरालाइसिस (Paralysis), प्रोजेरिया, locomotor disability, learning disablility को दिखाया गया है। हर्ष की बात है कि भारतीय फ़िल्म जगत का विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है, परंतु जिस रफ़्तार की ज़रूरत है, वह नहीं है। विकलांगता को बैसाखियों से जोड़कर देखने संबंधी पूर्वाग्रह को तोड़ने का प्रयास चलचित्र द्वारा दिखाई देता है। वैश्वीकरण के इस दौर में विकलांगता के रूप को नयी दृष्टि से देखने और समझने की ज़रूरत है।

* *एम.एड. विशिष्ट*, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में अवरोध पैदा करता है। विकलांगता शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिस स्थिति में शरीर भौतिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप से अविकसित रहता है अथवा किसी दुर्घटनावश विकृत हो जाता है – विकलांगता की यह सामान्य अवधारणा है। विकलांगता का संबंध अक्सर व्हीलचेयर, बैसाखी, शारीरिक अपंगता से जोड़कर देखा जाता है, परंतु हम विकलांगता का व्यापक दृष्टि से अवलोकन करें तो पाते हैं कि विकलांग तो वे भी हैं जो अपने सामने होते हुए अन्याय को देखते हैं, सहन करते हैं और मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में विकलांगता के रूप को नयी दृष्टि से देखने और समझने की ज़रूरत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज को और विशिष्ट बालकों, दोनों को ही एक-दूसरे की ज़रूरत है और विद्वानों का मानना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। परिवर्तन ही जीवन है और आज परिवर्तन ने हमारी ज़रूरतों का रूप ले लिया है। इस परिवर्तन के प्रादुर्भाव के बीच सिनेमा जगत अपनी पैठ हमारे बीच बना चुका है। भाषा का प्रसार, संस्कृति, समाज... आदि का सचित्र चित्रण एवं प्रसार हम सिनेमा के माध्यम से देख सकते हैं।

सिनेमा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा के द्वारा समाज में, लोगों में विकलांगता, विकलांगता के प्रकारों, विकलांगता की पहचान, रोकथाम, विकलांगों के समावेशीकरण जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों को समाज के हर स्तर के व्यक्तियों तक संप्रेषित किया जा सकता है। यह हर्ष की बात है कि भारतीय फ़िल्म जगत का विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है परंतु जिस रफ़्तार की ज़रूरत है, वह नहीं है।

इक्कसवीं शताब्दी के पूर्व हमारे समाज में विकलांगता को कभी भी सामान्य जीवन से जोड़कर नहीं देखा गया। भीख माँगना, गाना गाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता था।

भारत में विकलांगता के किरदार को केंद्र में रखते हुए पहली सफ़ल फ़िल्म 1964 में *दोस्ती* के रूप में हमारे सम्मुख अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। जिसके पात्र रामू और मोहन के साथ समाज का यथार्थ निरूपित किया गया है।

बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में आयी फ़िल्म *उपकार* देशभक्ति की भावना से तो ज़रूर ओत-प्रोत थी, लेकिन इसका दूसरा संदेश कहीं दबकर रह गया। फ़िल्म का अंत सुखान्त है जो भारतीय फ़िल्म जगत की परंपरा का निर्वाह मात्र है।

इक्कसवीं शताब्दी के पूर्व विकलांग किरदार को केंद्र में रखते हुए बहुत ही कम फ़िल्में बनीं। एक प्रयास गुलज़ार की फ़िल्म *कोशिश* (1972) द्वारा किया गया। फ़िल्म में हरि (संजीव कुमार) और आरती (जया भादुडी) ने एक गूँगे दंपत्ति का रोल बड़ी कुशलता से निभाया है। लोगों ने फ़िल्म की सराहना तो ज़रूर की लेकिन आम जनता के मन में ज़ुल्म करने वाले कनु (असरानी) के प्रति गुस्सा अधिक रहा, हरि और आरती की हिम्मत के प्रति शाबाशी कम।

विकलांग नायक को केंद्र में रखते हुए सई परान्जपये (Sai Paranjpye) ने 1980 में *स्पर्श* फ़िल्म बनायी। फ़िल्म के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नेत्रहीनता व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन को ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डालती है।

स्पर्श और *कोशिश* जैसी विकलांगता पर आधारित सशक्त फ़िल्मों ने विकलांग व्यक्ति को गवैया और भिखारी की श्रेणी से तो ऊपर उठाया परन्तु सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं स्थापित किया। हिंदी सिनेमा में इस तरह का कोई भी ज़िक्र 1986 के पूर्व नहीं मिलता। विकलांग व्यक्ति को सितारा बनाने का जोखिम टी. रामा राव ने उठाया और सुधा चन्दन के वास्तविक जीवन पर आधारित 1986 में *नाचे मयूरी* फिल्म बनायी। फ़िल्म में दिखाया गया है कि विकलांग व्यक्ति भी सितारा बन सकता है और वह भी एक स्त्री, लेकिन ठोस धरातलीय बदलाव 21वीं शताब्दी के साथ-साथ उपस्थित होते हैं।

इक्कसवीं शताब्दी के विकलांगता पर आधारित फ़िल्म जगत को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

1. जन्मजात विकलांगता पर आधारित फ़िल्में
2. दुर्घटना के कारण विकलांगता पर आधारित फ़िल्में
3. मनोरंजन के आधार पर विकलांगता पर आधारित फ़िल्में

जन्मजात विकलांगता पर आधारित फ़िल्में– *तेरा मेरा साथ रहे, ब्लैक, इकबाल, तारे ज़मीन पर, पा, माई नेम इज़ खान, गुज़ारिश, बर्फ़ी, षमिताभ*...। इन फिल्मों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनमें जन्मजात विकलांग पात्रों को गवैया और भीख माँगने की परंपरा से निकाल कर उसको सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखाने का प्रयास किया गया है और इस सराहनीय प्रयास में वो कहीं-कहीं सामान्य व्यक्तियों से आगे भी निकल गए हैं।

दुर्घटना के कारण विकलांगता पर आधारित फ़िल्में– *कर्मा, जिगर, कोयला, हिंदुस्तान की कसम, आँखें, वादा, लफ़ंगे परिन्दे, खूबसूरत*...। इन फ़िल्मों के आधार पर कहा जा सकता है कि दुर्घटना होने पर या किसी अन्य कारण से विकलांगता व्यक्ति पर हावी नहीं हो पाती और न ही वो अपनी किस्मत को कोसते हुए अवसाद की स्थिति में रहता है, बल्कि अपनी विकलांगता से संघर्ष करते हुए, उस पर विजय प्राप्त कर अपने आप को सामान्य श्रेणी में सफ़लतापूर्वक स्थापित करने का प्रयास करता है।

मनोरंजन के आधार पर विकलांगता पर आधारित फ़िल्में– *हम है कमाल के, क्या कूल हैं हम, फिर हेरा फेरी, चुप चुपके, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल-3, ऑल द बेस्ट*...। इन फ़िल्मों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विकलांगता को मज़ाक का आधार बनाया गया है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि विकलांगता के आधार पर हमारा मनोरंजन किया गया है जो सिनेमा जगत का पहला उद्देश्य है और साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों के

प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव करने का सार्थक प्रयास भी किया गया है।

इक्कसवीं शताब्दी में विकलांगता आधारित चलचित्र– सिनेमा के माध्यम से विकलांगता को समझाने में संजय लीला भंसाली का नाम मुख्य है जिनकी तीन फ़िल्मों में विकलांगता के तीन अलग-अलग विषयों को शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है–

खामोशी– श्रवणबाधिता (Hearing Impairment), 9 अगस्त 1996

ब्लैक – बहुविकलांगता (Multiple Disability), 4 फ़रवरी 2005

गुज़ारिश– पैरालाइसिस (Paralysis) 19 नवंबर 2010

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित *ब्लैक* की बात करें तो *ब्लैक* 1962 में बनी हॉलीवुड की श्वेत श्याम फ़िल्म द *मिरेकल वर्कर* पर आधारित है। इन दोनो फ़िल्मों की कहानी हेलेन केलर के जीवन पर आधारित है। सुनने व देखने की शक्ति न होने के बावजूद भी हेलेन केलर ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इस प्रकार वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गयीं।

ब्लैक फ़िल्म एक संवेदनशील फ़िल्म है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने की कहानी को चरितार्थ करती है। जब समाज विकलांग व्यक्ति के लिए शिक्षा की सोच को ठीक से पचा नहीं पा रहा था, उस स्थिति में भंसाली जी ने बहुविकलांगता से संबंधित पूर्वाग्रह को खारिज कर दिया और शिक्षा के आधार पर सिद्ध कर दिया कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।

ब्लैक फ़िल्म अधिकांशत: फ़्लैशबैक पर आधारित है। *ब्लैक* मिशेल की उस अँधेरी दुनिया की कहानी है जो अपनी विवशता के अँधेरे में घुट रही है और उसकी इस घुटन ने उसे उग्र और ज़िद्दी बना दिया है। मिशेल मैथनेली की अंतिम आशा के रूप में मि. सहाय आते हैं और अपनी ज़िद के बल पर मिशेल के जीवन में शिक्षा का एक नया अध्याय लिखते हैं। मिशेल भी शुरू करती है अपने जीवन के नये अध्याय को, मि. सहाय के स्पर्श और इशारों के साथ। मि. सहाय मिशेल को असंभव शब्द के सिवा सब कुछ सिखाते हैं जिसे मिशेल भी अच्छी तरह समझती है।

आँख न होने के बावजूद भी मिशेल सपनों को देख सकती है क्योंकि वो जानती है कि सपने आँखों से नहीं, मन से देखे जाते हैं और अपनी आँखों की रोशनी के अभाव में भी सपने देखती है– स्नातक का सपना, अल्ज़ाइमर रोग से पीड़ित अपने शिक्षक को पुन: ठीक करने का सपना। वो अपने सपनों को मरने नहीं देती, बल्कि अपनी लगन व साहस से पूरा करती है क्योंकि वो मि. सहाय के शब्दों का अर्थ समझती है–''सबसे खतरनाक होता है, सपनो का मर जाना''

नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित फ़िल्म *इकबाल* एक ऐसे युवा की कहानी को प्रस्तुत करती है जो सुनने और बोलने में असमर्थ है। फ़िल्म की खूबी यह है कि फ़िल्म का नाम भी वही है जो नायक का नाम है। भारतीय फ़िल्म दृष्टि से विकलांगता को लेकर *बर्फ़ी* के अलावा शायद ही ऐसा कार्य हुआ हो।

इकबाल के सपनों के साथ ही फ़िल्म का प्रारंभ होता है और अपने जुनून से उसे पा भी लेता

है। प्रतिभा होने के बावजूद भी उसकी विकलांगता उसके उद्देश्य में बाधा पहुँचाती है, परंतु वो अपने सपनों को मरने नहीं देता और सपनों को पूरा करने का इरादा ही इकबाल की उम्मीदों को ज़िन्दा रखता है। *इकबाल* फ़िल्म का नायक इकबाल अपने लिए स्वयं ही सांकेतिक भाषा (Sign language) विकसित करता है और इस प्रक्रिया में उसके परिवार के सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इकबाल अपनी मेहनत से ओष्ठ रीडिंग भी सीख लेता है।

क्रिकेट इकबाल का जुनून है और इस जुनून को उसकी बहन अपने प्रयास से कोलिपो क्रिकेट अकादमी तक पहुँचाती है। परंतु जल्द ही इकबाल संस्था में राजनीति का शिकार हो जाता है। परिणामस्वरूप उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। समाज से उपेक्षित इकबाल की उम्मीदें और कोशिशें ही उसे मोहित कोच से मिलवाती हैं। मंज़िल की राह में कई मुश्किलों के बावजूद भी इकबाल अपनी हर चुनौतियों का हल निकाल लेता है। फ़िल्म के अंत में पहले रणजी टीम फ़िर इंडिया टीम में अपना स्थान पक्का कर इकबाल, फ़िल्म के दर्शकों के मन में, हौसलों के प्रति नयी सकारात्मक सोच विकसित करता है जो कि फ़िल्म का उद्देश्य है।

ब्लैक और *इकबाल* फ़िल्म में एक समानता है; जो है– लक्ष्य के प्रति जुनून। एक तरफ़ स्नातक होने की ज़िद तो दूसरी तरफ़ भारतीय टीम में जगह पा जाने की ज़िद। ज़िद एक जुनून है अपने लक्ष्य तक पहुँचने का। फ़िल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि ज़िद और हिम्मत के बल पर कुछ भी किया जा सकता है।

बच्चों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सत्यता पर आधारित फ़िल्म है आमिर खान द्वारा निर्देशित *तारे ज़मीन पर* (Every Child is Special)। फ़िल्म का प्रारंभ ईशान की असफ़लता से होता है, लेकिन खत्म उसकी सफ़लता पर। असफ़लता की आदत से ग्रसित ईशान को उसके नये शिक्षक निकुंभ उसे सफ़लता का सही और सार्थक अर्थ बताते हैं। फ़िल्म में एक ऐसे बच्चे को केंद्र में रखा गया है जो डिस्लेक्सिया (Dyslexia) से पीड़ित है।

फ़िल्म वर्तमान जीवन की दौड़-भाग की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसकी रफ़्तार में ईशान अवस्थी की काबलियत कहीं पीछे छूट जाती है। फ़िल्म में कई प्रकार की विकलांगता, जैसे – डिस्लेक्सिया, मानसिक मन्दता और अस्थि विकलांगता (Ortho-paedical disability) को दिखाया गया है। राजन दामोदरन, जो कि पैर से विकलांग है, विकलांगता को अपनी कामयाबी में बाधा नहीं बनने देता और इस प्रकार वो क्लास का टॉपर बना रहता है। ईशान की ज़िंदगी में आशा की किरण के रूप में रामशंकर निकुंभ (आमीर खान) एक अस्थायी कला अध्यापक के रूप में आते हैं । निकुंभ ईशान के अतीत के कामों की समीक्षा करते हैं और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईशान की विफ़लताओं का मुख्य कारण उसकी पढ़ाई के प्रति अरुचि नहीं, बल्कि डिस्लेक्सिया (Dyslexia) है। इस प्रकार निकुंभ विशेषज्ञों द्वारा (Dyslexia) क्षेत्र में विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग कर उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आमिर खान द्वारा निर्देशित *तारे ज़मीन पर* में ईशान के माध्यम से अधिगम अक्षमता जैसे विषय को उठाया गया है।

ईशान शिक्षक व परिवार में पिता द्वारा मूर्ख शिरोमणि, शेमलेस ब्याय, तुम ठीक से लिख नहीं सकते ... ब्लडी, इडीयट, डफ़र ...उपमाओं से सुशोभित किया जाता है, क्योंकि सबका मानना है कि उसे कुछ नहीं आता और वो कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता। कुछ नहीं आता महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं आता और क्यों नहीं आता यह महत्वपूर्ण है। वो पढ़ना नहीं चाहता, पर क्यों का जवाब नहीं है किसी के पास। इन प्रश्नों का जवाब बन के आते हैं – शिक्षक निकुंभ

निकुंभ, ईशान का मूल्यांकन कर डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों की एक सूची कक्षा में प्रदान करते हैं – अलबर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो द विंसी, वॉल्ट डिज्नी, अगाथा क्रिस्टी, थॉमस एल्वा एडीसन, पबलो पिकासो, अभिनेता अभिषक बच्चन और स्वयं को भी उसी श्रेणी में स्थापित कर ईशान को यह बताने का प्रयास करते हैं कि वो अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसी समस्या है। परिवार का हर सदस्य ईशान से प्यार करता है, परंतु अपनी मजबूरियों की परिधि में उसकी समस्या को समझ नहीं पाता।

फ़िल्म में शिक्षकों द्वारा यह कहना कि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों (MR) को जैसा चाहे वैसा पढ़ाओ; क्या फ़र्क पड़ता है; भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का, शिक्षको की संवेदनहीनता को व्याख्यायित करता है। माना कि (MR) बालक समाज के लिए उस हद तक उपयोगी नहीं हो सकते परंतु जितना हो सकते हैं शिक्षा के द्वारा उतना तो बनाया जा सकता है।

परिपाटी से हटकर बहुत कम लोग ही सोचते हैं और ईशान का संबंध उन विरल लोगों से ही है। ईशान चित्रों और रंगों की दुनिया में कलाकारियाँ करता है और उसकी इस प्रतिभा को निकुंभ सर द्वारा निखारा जाता है। जब ईशान के माता-पिता स्कूल के अंतिम दिन अध्यापकों से मिलते हैं तो पाते हैं कि ईशान के सारे विषयों में सुधार हुआ है। छुट्टियों में घर जाने से पहले ईशान अपने शिक्षक से गले लगने के लिए दौड़ता है। निकुंभ द्वारा ईशान को हवा में उछाल दिया जाता है और वो आकाश की ओर हाथ फ़ैलाकर मानो कहता है – अब सारा आकाश हमारा है।

फ़िल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जिज्ञासा का जन्म, जन्म के साथ होता है। हर बच्चे में अपनी चाहत, काबलियत, खूबी होती है, ज़रूरत है उस खूबी को निखारने की। इस प्रकार के सकारात्मक सहयोग द्वारा हम आसानी से समाज की मुख्य धारा में ईशान जैसे बालकों का समायोजन कर उनकी प्रतिभा को नयी ऊचाइयाँ दे सकते हैं। फ़िल्म की खूबी है कि यह डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे की समस्याओं को ही नहीं उठाती, बल्कि उसका उचित उपचार भी प्रस्तुत करती है।

आर. बाल्की द्वारा निर्देशित *पा* का नायक ऑरो प्रोज़ेरिया से पीड़ित है जो करोड़ों में एक को होता है। इस प्रकार के बच्चे 13-14 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते। ऑरो जो एक प्रतिभाशाली लड़का है और जिसे यह भी मालूम है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ दिन ही बचे है, परंतु उसकी जिजीविषा बनी है। वो खुश रहता है और खुश रहने के लिए कारण खोजता रहता है।

माँ का ऑरो के प्रति सकारात्मक व्यवहार है क्योंकि वो अपने बेटे को विकलांग नहीं lucky boy

मानती हैं और सिद्ध करती हैं। कक्षा में ऑरो की विकलांगता के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति दिखाई देती है, परिवार में नानी, माँ और उसके पिता अमोल आर्ते द्वारा भी अतिरिक्त सहानुभूति ही फ़िल्म को वास्तविकता की डोर से अलग कर देती है। जगह-जगह पर अतिरिक्त संवेदना को देखा जा सकता है। इसीलिए 21वीं शताब्दी के पहले-दूसरे दशक की सोच से भी आगे की फ़िल्म है–*पा*।

फ़िल्म की विशेषता है कि विकलांगता को उसके माँ और पिता द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया है जो इस फ़िल्म को अन्य फ़िल्मों की श्रेणी से अलग करती है। आज विकलांगता के संदर्भ में पहली समस्या तो यही है कि हमें विकलांगता को सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए तत्पश्चात् उसका उपचार कर निदान करना चाहिए। फ़िल्म में अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय की कला से ऑरो जैसे पात्र को जीवन्तता प्रदान की।

अनुराग बसु द्वारा निर्देशित *बर्फ़ी* फ़िल्म के पात्र आधे-अधूरे होते हुए भी अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति करते हैं। फ़िल्म में किसी प्रकार की हमदर्दी या दया उपजाने की कोशिश नहीं की गई जो सामान्य लोगों के विकलांगता से ग्रस्त दृष्टिकोण के लिए सार्थक पहल है।

इस फ़िल्म में 1972–1978 और वर्तमान समय को साथ-साथ दिखाया गया है। सभी दौर की कहानियाँ साथ-साथ चलती हैं, जिसे कई लोग सुनाते रहते हैं। अधिकांशत: फ़िल्म फ़्लैशबैक पर आधारित है जो वर्तमान से टकराती है, इस वजह से फ़िल्म देखते समय दिल के साथ-साथ दिमाग को भी लगाना पड़ता है। भिन्न-भिन्न विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भी सफ़लतापूर्वक जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। फ़िल्म इस मिथक को भी तोड़ती है कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों का जीवन संघर्षमय होता है। फ़िल्म में श्रवण-हीनता (HI) और स्वलीनता को दिखाया गया है।

फ़िल्म की मुख्य भूमिका में बर्फ़ी/मर्फ़ी (रणबीर कपूर), झिलमिल चटर्जी (प्रियंका चोपड़ा) और श्रुती घोष (इलेना डिक्रूज़) का जीवंत अभिनय है। बर्फ़ी जानसन एक आशावादी युवक है जो मूक-बधिर बालक के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो अपनी शरारतों और दरियादिली में सामान्य लोगों से आगे है। बर्फ़ी न बेचारा है और न ही दया के अधीन। वो सिर्फ़ सुन बोल नहीं सकता। वो मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, वो हर बात को समझ सकता है। विकलांगता उसके काम में आड़े नहीं आती, वो अपने सारे काम स्वयं करता है। इस प्रकार से फ़िल्म के माध्यम से सामान्य लोगों में विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का सार्थक प्रयास दर्शनीय है।

पा और *बर्फ़ी* फ़िल्म में कहीं भी विकलांग व्यक्तियों के प्रति दया जैसे भाव को उत्पन्न हो जाने का निर्देशक ने मौका ही नहीं दिया। फ़िल्म यर्थाथ रूप से हमारे सम्मुख सब कुछ बयाँ कर देती है। फ़िल्म के द्वारा यह बताया गया है कि शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ़ शरीर से विकलांग होते हैं, न कि दिमाग से। *बर्फ़ी* का नायक कुछ न बोलते-सुनते हुए भी सब कुछ बोलता सुनता-सा महसूस होता है।

विकलांगता के प्रति समाज में स्वस्थ संदेश देने के लिए अनेक माध्यमों में साहित्य और फ़िल्में

मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह जानना प्रासंगिक है कि फ़िल्मों में विकलांग पात्रों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, सामाजिक संदर्भों को कैसे प्रस्तुत किया गया है, विकलांगता के संदर्भ में यह बात और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि हमारे समाज में फ़िल्में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती हैं।

मनोवैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इन बालकों में असमानता के बावजूद भी इनमें ऐसी असीम संभावनाएं छिपी हुईं हैं, जिनका समुचित विकास किया जाए तो ये भी सामान्य कहे जाने वाले व्यक्तियों की भाँति समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना सकारात्मक योगदान कर सकते हैं।

विकलांगता को बैसाखियों से जोड़कर देखने संबंधी पूर्वाग्रह को तोड़ने का प्रयास चलचित्र द्वारा दिखाई देता है। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज्ञान के प्रसार को व्यापक ढंग से सभी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। 21वीं शताब्दी में विकलांगता पर आधारित फ़िल्मों के माध्यम से विकलांगता के प्रति समाज को सार्थक संदेश दिया जा रहा है जो कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए लाभप्रद है, जिसे निम्न बिंदुओं के आधार पर बताया जा सकता है–

- इन फ़िल्मों के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर विकलांगों की बुनियादी ज़रूरतों को सार्थक ढंग से पूरा किया जा सके तो विकलांगता उन पर प्रभावी नहीं हो सकती। विकलांगों को सिर्फ़ शिक्षा के माध्यम से ही समाज की मुख्य धारा में समन्वित कर सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प नहीं हैं और अगर हम किसी दूसरे विकल्प की तलाश करते हैं तो वो दया की दृष्टि के अंतर्गत आएगा, जो विचारहीन है।
- गाँधी जी ने कहा था कि शिक्षा वही है जो हमें रोज़गार प्रदान कर सके, जो हमें रोज़गार प्रदान न कर सके वो शिक्षा व्यर्थ है। इसी कारण गाँधी जी ने शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा। 21वीं शताब्दी में विकलांगता पर आधारित फ़िल्मों में इसे अपनाया गया है। इन फ़िल्मों के माध्यम से एक बात और सामने आती है वो है कि विकलांगता के लिए हर प्रयास सरकार के भरोसे नहीं करने चाहिएँ। हम सरकारी सहायता की आस लगाकर हाथों में हाथ धरकर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी भी समाज के प्रति ज़िम्मेदारी है। अगर हर बात पर हम सरकार की ओर लाचार दृष्टि से देखते रहे और विकलांगों के लिए कुछ न कर सके तो यह उपयुक्त नहीं होगा।
- इन फ़िल्मों के माध्यम से यह भी बताया गया है कि मानसिक मंदित (MR) बच्चों, श्रवणबाधित (HI), दृष्टिबाधित (VI), locomotor disability, multiple disability, learning disability या other disability को शिक्षा के माध्यम से दूर कर समाज में समायोजित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग उनके प्रयास को तीव्र गति प्रदान कर सकता है। आज फ़िल्मों के द्वारा विकलांग पात्रों को दया जैसी संकुचित परिधि से पूर्णरूपेण अलग कर दिया गया है क्योंकि दया एक ऐसा दीमक है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को खोखला कर देती है और विकलांगों के अंदर बेचारगी पैदा करती है। इस प्रकार वे हीनता की भावना से

ग्रस्त होकर समाज को अपनी योग्यतानुसार लाभ प्रदान नहीं कर पाते।

इक्कसवीं शताब्दी में विकलांगता पर आधारित फ़िल्मों की मूल समस्या उनके उचित शिक्षण के आधार पर सफ़लतापूर्वक समायोजन की ही है जिससे समाज और विकलांग व्यक्तियों, दोनों को ही एक-दूसरे का सार्थक सहयोग मिल सके।

विकलांगता पर आधारित फ़िल्म जगत के दृष्टिकोण को देखा जाए तो विकलांगता जैसे मुद्दे पर फ़िल्म जगत का ध्यान काफ़ी बाद में गया, पर हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया और अब हमें देर आए दुरुस्त आए जैसी कहावत को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। सिनेमा के द्वारा हम किसी भी संदेश को सामान्य जनता तक स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से स्थानांतरित कर सकते हैं। हमारे लिए यह बात प्रासंगिक है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में फ़िल्में प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करती हैं।

समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सेवापूर्व विशेष आवश्यकता शिक्षक प्रशिक्षण की सार्थकता

भारती*

सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का उद्देश्य है, ऐसे शिक्षक तैयार करना जो विद्यालयों में तत्परता एवं कुशलता से अपनी सेवाएँ प्रदान कर देश की भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। आज के विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के साथ विशेष शिक्षकों की भी अवश्याकता होती है ताकि प्रत्येक छात्र की भिन्न आवश्यकताओं की देखभाल सामान्य शाला में ही हो सके। विशेष शिक्षकों का सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्या उन्हें सामान्य शालाओं में कार्य करने हेतु तैयार करता है? क्या वह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को समावेशी कक्षाओं में शामिल करने के पक्ष में हैं? इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों का अध्ययन समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया। अध्ययन के परिणामों और विधि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत लेख में किया गया है।

रोहित देख नहीं सकता, पर उसे अच्छी तरह से सुनाई देता है। वह सुन कर अपना पाठ भी याद कर लेता है। कक्षा के अन्य साथी उसे श्यामपट्ट पर लिखा अथवा पुस्तक में लिखा पढ़ कर सुना देते हैं। इससे उसे पढ़ाई-लिखाई संबंधी कठिनाई शायद ही आती है। कक्षा अध्यापिका श्रीमति राधिका भी रोहित की विशेष आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव लाने हेतु सचेत व सक्रिय रहती हैं। विशेष आवश्यकताओं के प्रति अपनी इस संवेदनशीलता का श्रेय वह अपने विद्यालय के विशेष शिक्षक एवं रोहित के माता-पिता को देती हैं।

रोहित का उदाहरण यह तो समझाता है कि किस तरह से माता-पिता, कक्षा साथी, सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* डी.ई.जी.एस.एन, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110016

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य शालाओं में, सामान्य कक्षा-कक्ष में, पाठ्यचर्या अनुकूलन से विद्यालय की गतिविधियों में प्रभावी प्रतिभागिता कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकरण से विशेष शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। प्रस्तुत लेख में चर्चा का बिंदु है, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, यह किस प्रकार से सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण से भिन्न है।

विशेष शिक्षक प्रशिक्षण मुख्यत: उस प्रशिक्षण को कहते हैं, जिसे करने के बाद प्रशिक्षुओं में बालकों की अधिगम संबंधी विशेष आवश्यकताओं की जानकारी, विकास एवं प्रबंधन संबंधी कौशल संवर्धन होते हैं। अर्थात् इस प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षु विद्यालयी बालकों की अधिगम संबंधी विशेष आवश्यकताओं, जैसे कि लिखे हुए को न पढ़ पाना (दृष्टि बाधा के कारण), कक्षा में हो रहे वार्तालाप, चर्चा को भली-भाँति सुन-समझ न पाना (श्रवण विकारों के कारण), कक्षा निर्देशों का पालन न कर पाना, अतिसंवेदनशीलता और अतिचंचलता के कारण व्यवहार में आने वाली कठिनाईयाँ इत्यादि को प्रशिक्षु न केवल पहचान ही सकता है, बल्कि इन विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा-कक्ष की गतिविधियों में बदलाव की योजना सामान्य शिक्षक के साथ साझा कर, उनका क्रियान्वयन भी करने में सक्षम हो जाता है। सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण–जिसे हम बी.एड. के नाम से जानते हैं, के जैसा ही है जो कुछ अंतर है तो वह है विषयवस्तु एवं प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में।

अभी कुछ वर्षों पहले तक विशेष शिक्षकों का कार्यक्षेत्र विशेष विद्यालयों तक ही सीमित था। विशेष विद्यालय वह विद्यालय हैं, जो विशेष बालकों की विशेष आवश्यकतानुरूप, विशेष पाठ्यचर्या निर्माण और उसके क्रियान्वयन द्वारा विशेष बालकों को स्वावलंबन एवं समाज में स्वतंत्र रूप से रहने और ज़िम्मेदार सदस्य बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। विशेष विद्यालयों में प्रमुखतया एक ही प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रवेश दिया जाता है, जैसे कि, श्रवण-विकार वालों का विशेष विद्यालय या फ़िर मानसिक चुनौतियों वालों का विशेष विद्यालय इत्यादि।

विशेष बालकों के लिए सामान्य शालाओं के दरवाज़े खोलने में 2009 में शुरू हुए भारत सरकार के कार्यक्रम, 'सर्व शिक्षा अभियान' का अहम योगदान है। सर्व शिक्षा अभियान की दाखिले में शून्य अस्वीकारता, पास का विद्यालय एवं विशेष बालकों की शाला तक पहुँच इत्यादि विशेष प्रावधानों ने सामान्य शालाओं को समावेशी विद्यालयों में बदल दिया। इस पूर्ण प्रक्रिया में 2009 के 'शिक्षा के अधिकार कानून' की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।

समावेशी विद्यालयों में, विशेष बालकों की पढ़ाई-लिखाई एवं सामाजिक समावेशन को गति प्रदान करने और सामान्य शिक्षक कि मदद करने हेतु विशेष शिक्षक की आवश्यकता महसूस की गई। यह ज़रूरत इसलिए भी थी कि सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं से संबंधित कोई ठोस जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। अत: वह खुद को विशेष बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता पूर्ति

हेतु असमर्थ पाता था। नतीजा यह हुआ कि विशेष शिक्षकों को सामान्य शालाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होने लगा। ''समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। यह शिक्षा छात्रों को अपने हमउम्र के साथ कक्षा में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों की शिक्षा में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को शामिल करने का प्रयत्न भी करती है।'' [(www.successkey.com) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र]

समावेशी शालाओं में आने वाले विशेष बालकों और विशेष विद्यालयों में जाने वाले विशेष बालकों की शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अंतर था। जहाँ समावेशी विद्यालय में विशेष बालक को गैर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ घुलने-मिलने और सामान्य पाठ्यचर्या के अनुरूप पढ़ाई करनी थी, वहीं विशेष विद्यालय में पाठ्यचर्या से लेकर दैनिक गातिविधियों तक सब कुछ विशेष आवश्यकता के अनुरूप था। समावेशी शालाओं में सेवारत विशेष शिक्षकों की कुछ चुनौतियाँ निम्न थीं–

- बहुअक्षमता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संभाषित करना। चाहे प्रशिक्षण ने आपको केवल मानसिक विकलांगता का विशेषज्ञ बनाया हो, लेकिन सामान्य शाला में आपको, चक्षुविकार, श्रवण विकार, स्वालीनता इत्यादि सभी आवश्यकताओं की देखभाल करनी होगी।
- वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (IEP) का क्रियान्वयन समावेशी शालाओं में शायद पूर्णतया संभव नहीं था। क्योंकि शाला में विशेष शिक्षक की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के तौर पर थी जो सप्ताह में एक या दो दिन ही एक शाला में आएगा।
- अनुभवी एवं मंझे हुए सामान्य शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति में विशेष आवश्यकतानुसार बदलाव करने के लिए मनाना। कई बार विशेष एवं सामान्य शिक्षकों में टकराव भी महसूस किया गया।
- विशेष शालाओं के विपरीत समावेशी शाला पाठ्यचर्या को समझना और उसे विशेष बालक की आवश्यकतानुरूप एवं क्षमता अनुसार अनूकूलित करना।
- विशेष बालक को अकेले में विशेष रूप से पढ़ाने के साथ-साथ समावेशी कक्षा में पढ़ने एवं सीखने योग्य बनाना।
- सामान्य शालाधिकारियों को विशेष आवश्यकताओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना।
- माता-पिता एवं सामान्य शिक्षक की अपेक्षाओं में बालक की क्षमतानुसार तालमेल बैठाना।

उपरोक्त के अलावा और भी बहुत कुछ इस सूची में जोड़ा जा सकता है। हकीकत तो यह थी कि विशेष अध्यापक के मन में भी समावेशी शालाओं को लेकर दुविधा थी। क्योंकि उसका प्रशिक्षण तो विशेष विद्यालयों में एक प्रकार के विशेष बालकों के साथ, विशेष पाठ्यचर्यानुसार कार्य करने हेतु हुआ

था। विशेष शिक्षक प्रशिक्षण क्या विशेष शिक्षकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था और समावेशी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की जानकारी दे रहा था? क्या विशेष शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को समावेशी विद्यालयों की आवश्यकतानुसार कार्य करने में सक्षम बना रहा था? विशेष शिक्षक प्रशिक्षण में वह कौन से बदलाव किए जाने की ज़रूरत थी कि यह समावेशी विद्यालयों की आवश्यकताओं को संभाषित कर सकें? इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ, इस अध्ययन की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा सुझाए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन, समावेशी विद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया।

अध्ययन विधि – भारत के भिन्न विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे बी.एड. विशेष शिक्षा के भिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मंगवाई गई। एक विश्लेषण उपकरण और पाँच सूत्रीय समावेशी कसौटी, विशेषज्ञों की मदद से तैयार की गई, इस उपकरण और कसौटी के आधार पर बी.एड. विशेष शिक्षा के दस कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन किया गया। यह दस कार्यक्रम वह थे जो RCI के द्वारा 2015 में सुझाई गई बी.एड. विशेष शिक्षा के पाठ्यचर्या से पहले के कार्यक्रम थे। इसी विश्लेषण उपकरण की सहायता से RCI की 2015 की बी.एड. विशेष शिक्षा पाठ्यचर्या का भी अध्ययन किया गया एवं इसे भी पाँच सूत्रीय कसौटी पर जाँचा गया। बी.एड. विशेष शिक्षा का कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को किसी एक अक्षमता का विशेषज्ञ बनाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण संस्थाएँ RCI के नियमानुसार बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) अथवा अधिगम अक्षमता (LD) अथवा श्रवण विकार (HI) अथवा चक्षु विकार (VI), बहुविकलांगता (HD) अथवा स्वालीनता (ASD) के रूप में चलाती हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्रशिक्षु बी.एड. विशेष शिक्षा में दाखिला लेता है तो वह अपनी इच्छानुसार उपरोक्त छः में से किसी एक को चुन सकता है।

निम्न सूची दर्शाती है कि अध्ययन किस विश्वविद्यालय अथवा संस्था के किस कार्यक्रम का किया गया—

क्र.सं.	**विश्लेषण किया गया**		**संस्था**	**व्यवस्था**
1.	बी.एड. (विशेष) बहुअक्षमता	एक वर्ष	1. NIEPND	नियमित
2.	बी.एड. (विशेष) वार्षिक	दो वर्ष	2. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	दूरस्थ
3.	बी.एड. (विशेष) बहुविशेषज्ञता	एक वर्ष	3. जामिया मिलिया इस्लामिया	नियमित
4.	बी.एड. (विशेष) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर	एक वर्ष (सेमेस्टर)	4. एमिटी विश्वविद्यालय	नियमित

5.	बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता	एक वर्ष	5. एमिटी, विश्वविद्यालय 6. पंजाब विश्वविद्यालय, 7. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	नियमित
6.	बी.एड. (श्रवण विकार)	एक वर्ष (सेमेस्टर)	8. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	नियमित
7.	बी.एड. (विशेष) मानसिक		9. भारतीय पुनर्वास परिषद्	संस्थाओं का निर्णय
8.	बी.एड. (विशेष) मानसिक मांदता	एक वर्ष	10. पंजाब विश्वविद्यालय	नियमित

पहली ही नज़र में अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में काफ़ी विविधताएँ नज़र आईं, जैसे कि कुछ कार्यक्रम वार्षिक थे तो कुछ सेमेस्टर प्रणाली वाले, कुछ एक वर्षीय तो कुछ दो वर्षीय, तो कुछ एकीकृत कार्यक्रम थे जो बी.एड. के साथ-साथ विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य स्नातक की उपाधि भी दे रहे थे।

शोधकर्ताओं ने क्या देखा/पाया– अध्ययन किए गए सभी कार्यक्रमों में निम्न विषय पाए गए–

1. नैचर एंड नीड्स ऑफ़ वेरियस डिसएबिलिटीस
2. एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पर्सन्स विद डिसएबिलिटीस
3. एजुकेशनल प्लानिंग एंड रिसर्च
4. करिकुलम डिज़ाइन एंड रिसर्च
5. एजुकेशन इन इंडिया– ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव
6. प्रैक्टिस टीचिंग

उपरोक्त के अलावा प्रत्येक विश्वविद्यालय ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अपने विश्वविद्यालय के स्वाभावानुसार कुछ विषयों को अपनी ओर से जोड़ा, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने ''सरल उर्दू'', एमिटि विश्वविद्यालय ने ASD वाले बच्चों की शिक्षण पद्धतियाँ विषय को अनिवार्य बनाया। कुल मिलाकर 36 विषय अध्ययन किए गए, दस कार्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे थे। बी.एड. विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता कार्यक्रम में कुछ विषय थे– Introduction to LD, Assessment of CWLD और Intervention for Remedies of LD, इसी तरह के विषय बाकी विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में भी उनकी विशेषज्ञतानुसार पाए गए।

सेवापूर्व ''विशेष शिक्षा'' एवं ''सामान्य शिक्षा'' शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना

- सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वरूप लगभग वैसा ही है, जैसा कि सेवापूर्व सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का। शिक्षक प्रशिक्षण इस विषयवस्तु में सामान्य शिक्षकों के साथ सामुहिक चर्चा एवं साझेदारी, सामान्य शालाओं में समावेशी क्लब पाठ योजना इत्यादि जोड़कर इसे समावेशी बनाया जा सकता है।

- प्रत्येक में, थ्योरी कोर्स पर आधारित कुछ दत्त कार्य करवाए जा रहे थे, जैसे कि लघु अध्ययन, केस स्टडीज़, शाला संबंधी दत्त संकलन एवं अध्ययन।
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम में पढ़ाए जा रहे कुछ विषय सामान्य शिक्षा के ऐच्छिक विषयों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, जैसे कि, Skills of creative expression in special education, Introduction of Multiple disability.
- दोनों में ही प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में जाकर छात्र शिक्षण करना अनिवार्य था।
- दोनों में ही प्रशिक्षुओं से अपेक्षा थी कि वह छात्र शिक्षण अवधि के दौरान लघु शोध, आवश्यकता आकलन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि करेंगे।
- अध्ययन किए गए कार्यक्रमों के उद्देश्यों में समावेशन का उल्लेख छः कार्यक्रमों में पाया गया बाकी चार कार्यक्रमों के उद्देश्यों में समावेशन का उल्लेख नहीं पाया गया।

विशेष शिक्षक प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु

- सेवापूर्व विशेष शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे भिन्न विषयों के उद्देश्य का विश्लेषण समावेशन के दृष्टिकोण से किया गया और यह पाया कि 36 में से 28 विषय ऐसे थे जिनके उद्देश्यों में या तो समावेशन का उल्लेख था या फ़िर उनके समावेशी बनाए जाने की गुंजाइश थी। जैसे कि, Education Psychology and PWD के उद्देश्य थे– विकास और वृद्धि के सिद्धांतों को समझना, अधिगम थ्योरियों, व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थय की अवधारणा को समझाना और PWD के लिए निहितार्थ को पहचानना। इन दोनों उद्देश्यों में समावेशी दृष्टिकोण झलकता है, किंतु तीसरे उद्देश्य–मार्गदर्शन एवं परामर्श का अर्थ एवं PWD के संदर्भ में इसकी भिन्न तकनीक में कुछ बदलाव कर इसे समावेशी कक्षा एवं विद्यालयों के अनुरूप बनाया जा सकता है।
- Curriculum and Teaching Strategies (MR) विषय का उद्देश्य सामान्य कक्षा शिक्षक के साथ साझेदारी में कार्य करना, समावेशी शालाओं के कार्यानुरूप ही है, और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
- समावेशी शिक्षा संबंधी दत्त कार्यों का उल्लेख केवल 14 विषयों में ही पाया गया। उदाहरण के लिए, Education in India : A Global Perspective का एक प्रस्तावित दत्त कार्य था, व्यवस्थायी सुधार और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा खंड का विश्लेषण करना। कुछ दत्त कार्यों में ज़रा से बदलाव से उन्हें समावेशी कक्षानुरूप बनाया जा सकता है, जैसे कि, Introduction to LD के विषय में एक प्रस्तावित दत्त कार्य, ADD और ADHD बालक के लिए गतिविधियों की योजना बनाना है, इसमें यदि समावेशी कक्षा

को जोड़ दिया जाए तो दत्त कार्य शायद ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले ADD और ADHD बालक के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाना। दोनों में ही मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, शिक्षणशास्त्र इत्यादि आधारित विषय पढ़ाए जा रहे थे।

- भिन्न विषयों की प्रस्तावित विषयवस्तु का समावेशी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर पाया गया कि दस कार्यक्रमों के 36 में से केवल 28 विषयों की विषयवस्तु में ही समावेशी पठन सामग्री शामिल करने की गुंजाइश थी। उदाहरण के लिए, Skills of Creative Expression.
- विषय सामग्री में वर्णित था, विशेषज्ञों द्वारा चर्चा, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायियों के लिए कार्यशाला, पुस्तक समीक्षा, भिन्न स्तरों की संगोंद्रियों में सक्रिय भागीदारी इत्यादि। इस विषयवस्तु में सामान्य शिक्षकों के साथ सामूहिक चर्चा एवं साझेदारी, सामान्य शालाओं में समावेशी क्लब पाठयोजना इत्यादि जोड़कर इसे समावेशी बनाया जा सकता है।
- किसी भी समावेशी कक्षा-कक्ष में एक से अधिक तरह की अक्षमता या विशेष आवश्यकता वाले छात्र हो सकते हैं, अत: ज़रूरी है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को सभी प्रकार की विशेष आवश्यकताओं से परिचित एवं संबोधन में कुशल बनाएँ। अत: प्रत्येक कार्यक्रम के विषयों की विषयवस्तु में एक-एक करके हर विशेष आवश्यकता का अध्ययन किया गया और पाया गया कि–

➢ 36 में से केवल नौ विषयों की विषयवस्तु में अंधता एवं दृष्टि दोषों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया, इनमें से भी केवल एक विषय Nature and need of various disabilities–An introduction अध्ययन किए गए दस में से आठ कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में शामिल था।

➢ श्रवण एवं वाणी विकारों के बारे में जागरूकता का प्रयास अध्ययन किए गए लगभग हर कार्यक्रम में पाया गया, जबकि अध्ययन किए गए दस में से केवल तीन ही श्रवण विकार को समर्पित थे, जहाँ कार्यक्रम के स्वाभावानुसार, विशेष ध्यान श्रवण एवं वाणी विकास पर था। अन्य कार्यक्रम जैसे कि, बी.एड. विशेष शिक्षा मानसिक मंदता में भी कुछ विषयों में श्रवण विकारों पर संलिप्त अक्षमता के रूप में उल्लेख पाया गया, जैसे कि, Mental retardation its multidisciplinary aspect and methodology of teaching children with LD in an inclusive set up.

➢ कोढ़ और चलने-फिरने (गति) संबंधी कठिनाईयों के बारे में केवल आठ ही विषयों में उल्लेख पाया गया, हालाँकि अध्ययन किए गए प्रत्येक कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को एक विषय की एक इकाई द्वारा इस बारे में जानकारी देने का प्रयास पाया गया। समान

स्थिति सेरेबल पॉलसी और मस्क्यूलर डिस्ट्रोफ़ी के बारे में भी देखी गई।

- ➢ स्वालीनता (Autism) और बौद्धिक अक्षमता का ज़िक्र भी प्रत्येक कार्यक्रम में पाया गया, किंतु मानसिक विकारों को अनदेखा रहने दिया गया। 36 में से 14 विषयों की विषयवस्तु में स्वालीनता और बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख पाया गया।
- ➢ दस विषयों में बहुअक्षमता, श्रवण-चक्षु विकार और बहुस्कलोरेसिस का ज़िक्र देखा गया। अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों में से केवल तीन (NIEPMD का बी.एड. विशेष शिक्षा बहुविकलांगता, बी.एड. MR, बी.एड. VI) की ही पाठ्यवस्तु में बहुअक्षमता, श्रवण-चक्षु विकार और बहुस्कलोरेसिस का उल्लेख पाया गया।
- ➢ बारह विषयों में अधिगम अक्षमता के विषय में जानकारी देने का प्रयास नज़र आया। एकमात्र यही ऐसी अक्षमता थी जिसके बारे में शिक्षण पद्धति के पेपर में भी पढ़ाया जा रहा था।
- ➢ अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में प्रतिभावान बालकों के बारे में उदासीनता ही पाई गई। मात्र दो कार्यक्रमों के एक पेपर में ही इनका उल्लेख पाया गया। यही स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की भी देखी गई।
- ➢ धीमी गति वाले बालक हमारी कक्षाओं का एक अदृश्य समूह हैं, शायद इसलिए इनके बारे में बेहद थोड़ी जानकारी एवं चर्चा, अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में पाई गई। मात्र पाँच विषयों में इनका उल्लेख पाया गया।
- ➢ आर्थिक रूप से पिछड़े बहुभाषाई और जेंडर इत्यादि के बारे में भी जागरूकता फ़ैलाने के लिए नाममात्र प्रयास देखे गए।

- दस में से केवल चार कार्यक्रमों मे ही छात्र शिक्षण के लिए समावेशी विद्यालयों के चयन का सुझाव था। पाँच ने विशेष विद्यालयों का सुझाव दिया था। अधिकांश कार्यक्रमों में कम-से-कम 20 पाठ योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा थी।
- तीन कार्यक्रमों में छात्र शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं से समावेशी कक्षा के 18 अवलोकनों की अपेक्षा की गई थी। सामान्य शालाओं के संसाधन कक्ष में पढ़ाने का भी प्रस्ताव पाया गया। भाषा शिक्षण के लिए भी सामान्य कक्षाओं में शिक्षण अवलोकन को प्रोत्साहित किया गया था।
- अध्ययन किए गए बी.एड. विशेष शिक्षा के दस कार्यक्रमों के केवल छ: ही पेपरों/विषयों में छात्र शिक्षण के दौरान किए जाने वाले दत्त कार्य समावेशी रूझान वाले पाए गए।

सेवापूर्व शिक्षण प्रशिक्षण – कार्यक्रमों की समावेशन कसौटी

प्रत्येक कार्यक्रम को निम्न पाँच सूत्रीय कसौटी पर जाँचा गया। क्या यह कार्यक्रम शिक्षक को सक्षम बना रहा है कि वह—

1. अक्षमताओं, जेंडर भेद, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से उत्पन्न होने वाली छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पहचान सके।
2. छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम गतिविधियों में बदलाव कर सके।
3. गैर समावेशी व्यवस्था के बजाए समावेशी कक्षा-कक्ष में पढ़ा सके।
4. शिक्षण अधिगम और आकलन संबंधी क्रियाकलापों को सभी छात्रों तक पहुँचा सके।
5. अन्य शिक्षकों एवं विशेषज्ञों, जैसे कि, विशेष शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वाणी विशेषज्ञ इत्यादि के साथ साझेदारी में काम कर सके।

अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों का कसौटी विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है –

सूत्र	हाँ	ना
1	10	0
2	9	1
3	4	6
4	1	9
5	8	2

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यकम विशेष आवश्यकता वाले बालक की अधिगम आवश्यकताओं की समावेशी कक्षा में पहचान और देखभाल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। केवल चालीस प्रतिशत कार्यक्रमों में ही समावेशी कक्षा-कक्ष में अधिगम की चर्चा की गई है। 20 प्रतिशत कार्यक्रमों में विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के बीच साझेदारी का प्रयत्न पाया गया। केवल एक ही कार्यकम ऐसा था, जहाँ छात्रों को सभी बालकों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आकलन सुलभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। दस में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो समावेशी शिक्षा की पाँचों कसौटियों पर खरा उतरता हो।

नयी पाठ्यचर्या विश्लेषण

ऊपर प्रस्तुत विश्लेषण उन कार्यक्रमों का है जो भारतीय पुनर्वास परिषद् में प्रस्तावित बी.एड. विशेष शिक्षा के दो साल के नए कार्यक्रम से पहले चलाए जा रहे थे। इस प्रस्तावित नए कार्यक्रम का भी विश्लेषण एवं समीक्षा विश्लेषण उपकरण और समावेशन कसौटी के आधार पर किया गया। बी.एड. विशेष शिक्षा की सभी छ: विशेषज्ञ उपकार्यक्रमों जैसे– बी.एड. विशेष शिक्षा (MR), (VI), (HI), (ASD), (LD), और (MD) का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि–

- प्रत्येक कार्यक्रम का मूलभूत ढाँचा तो एक ही जैसा है, किंतु अब इसमें बहुत से वैकल्पिक/ऐच्छिक विषय जोड़े गए हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं, और प्रशिक्षु अपनी रुचिनुसार विषय का चयन कर सकते हैं।
- पूरी पाठ्यचर्या यह समझती और स्वीकारती है कि प्रशिक्षणोपरांत कार्यक्षेत्र, सामान्य/समावेशी शलाएँ हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है।
- समय के दृष्टिकोण से प्रत्येक कार्यक्रम दो वर्षीय कर दिया गया है, अत: समरसता पाई गई।

अनिवार्य विषयों का विवरण निम्न है–

AREA: A
Core Courses
A-1 Human growth and development
A-2 Contemporary India and education
A-3 Learning, teaching and assessment
A-4 Pedagogy of teaching
- i. Science
- ii. Mathematics
- iii. Social Studies

A -5 Pedagogy of Teaching
- i. Hindi / Regional language
- ii. English

AREA: B
Cross Disability and Inclusion
B-6 Inclusive Education
B-7 Introduction to Sensory Disabilities
B-8 Introduction to Neuro-developmental Disabilities
B-9 Introduction to locomotor and Multiple Disabilities

B-10 Skill Base Optional Courses (Cross Disability and Inclusion)
- i. Guidance and counseling
- ii. Early childhood care education
- iii. Applied behavioural analysis
- iv. Community base rehabilitation
- v. Application of ICT in classroom
- vi. Gender and disability
- vii. Braille and assistive devices

B-11 Skill Base Optional Courses (Disability Specialisation)
- i. Orientation and mobility
- ii. Communication option : oralism
- iii. Communication option : normal (Indian sign language)
- iv. Augmentative and alternative communication
- v. Management of learning disability
- vi. Vocational rehabilitation and transition to job permanent

AREA: C
Disability Specialisation Courses
C-12 Assessment and identification of needs
C-13 Curriculum designing adaption and evaluation
C-14 Intervention and teaching strategies
C-15 Technology and disability
C-16 Psychology and family issues

AREA: D
Enhancement of Professional Capacities
D-17 Reading and reflecting on texts
D-18 Drama and art in education
D-19 Basic research and statistics

AREA: E
Practical Related to Disability
E-1
Cross Disability and Inclusion

E-2
Disability specialisation

AREA: F
Field Engagement School Attachment/ Internship
F-1 Main disability special school
F-2 Other disability special school
F-3 Inclusive school

- कार्यक्रमों के उद्देश्य में ही समावेशी शिक्षा और शालाओं का ज़िक्र है। जैसे कि, शैक्षिक प्रावधानों की अवधारणा की समझ और बच्चों के साथ विशेष और समावेशी स्थिति में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास।
- प्रत्येक विषय के विशिष्ट उद्देश्यों में भी समावेशी शालाओं का उल्लेख पाया गया। उदाहरण के लिए, विषय Cerebral Palsy का एक उद्देश्य है– समावेशी शिक्षा के लिए भिन्न अनुकूलन योजना बनाने के कौशल का प्रदर्शन।
- उद्देश्यों के अनुरूप ही प्रत्येक विषय की विषयवस्तु निर्धारण में भी समावेशी शालाओं एवं विशेष आवश्यकताओं में तालमेल बैठाने के प्रयत्न पाए गए। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी शिक्षण की विषयवस्तु में शामिल है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी शिक्षण की विधियाँ, पाठों एवं इकाई की अनुकूलित योजना बनाना।
- प्रत्येक विशेषज्ञता कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं की, अन्य अक्षमताओं की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक न्यूनतम कौशल विकास का प्रयत्न भिन्न विषयों के माध्यम से करने की इच्छा दिखाई दी, जैसे कि, बी.एड. विशेष शिक्षा (LD) के प्रशिक्षु में अल्पदृष्टि एवं अंधता की जानकारी एवं कौशल विकास 11 विषयों की विषयवस्तु के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं इसी कार्यक्रम में श्रवण एवं वाणी विकार, तीन विषयों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में एक विषय व आर्थिक रूप से पिछड़ों के बारे में दो विषयों व बहुभाषा के बारे में पाँच विषयों की विषयवस्तु में उल्लेख पाया गया।
- शाला-आधारित विषयों में भी सामान्य/समावेशी शालाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है ताकि प्रशिक्षुओं में समावेशी शालाओं में पढ़ाने के लिए पाठ योजना पाठ्यवस्तु अनुकूलन के पश्चात् बनाने का कौशल विकसित हो। समावेशी शालाओं में कम-से-कम दस कक्षा शिक्षण प्रस्तावित हैं।
- पाठ्ययोजनाओं के अतिरिक्त समावेशी शालाओं में लघु शोध और अन्य दत्त कार्य भी पाठ्यचर्या में प्रस्तावित हैं।
- विशेषज्ञता के अलावा अन्य विशेष आवश्यकता संबंधी, समावेशी शाला-आधारित दत्त कार्यों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है।

निष्कर्ष

जहाँ तक समावेशी कसौटी की बात है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रस्तावित बी.एड. विशेष शिक्षा की दो वर्षीय नयी पाठ्यचर्या पाँच में से चार सूत्रों पर तो खरी उतरती है, लेकिन पहला ही सूत्र, जहाँ समावेशी कक्षा में हर तरह की विशेष आवश्यकताएँ पहचानने की बात है, उसे आंशिक रूप से ही पूरा कर पा रही है। जिसका कारण शायद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नामांकन एवं स्वभाव में देखा जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर विशेष शिक्षक निर्माण का उद्देश्य है और शायद इसीलिए अक्षमता प्रधान पाठ्यचर्या है। पुरानी और नयी पाठ्यचर्या में बहुत से अंतर हैं। नयी पाठ्यचर्या समय की मांग को पहचान

कर समावेशी कक्षाओं में कार्य करने हेतु प्रशिक्षुओं को तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नयी पाठ्यचर्या की सबसे अच्छी बात है कि इसमें थ्योरी के साथ-साथ, शाला-शिक्षण के दौरान भी समावेशी कक्षाओं के अनुरूप कौशल विकास पर उचित ध्यान दिया गया है।

संदर्भ

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र www.successkey.com.
बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता, पाठ्यचर्या, एमिटि, विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता, पाठ्यचर्या, पंजाब विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) चक्षु विकार, पाठ्यचर्या, जामिया मिलिया इस्लामिया
बी.एड. (विशेष) पाठ्यचर्या, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) बहुअक्षमता, बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान (NIEPMD)
बी.एड. (विशेष) श्रवण विकार, पाठ्यचर्या, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) ASD, पाठ्यचर्या, एमिटि, विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) MR, पाठ्यचर्या, पंजाब विश्वविद्यालय
बी.एड. (विशेष) MR, पाठ्यचर्या, भारतीय पुनर्वास परिषद्
बी.एड. (विशेष) श्रवण विकार, पाठ्यचर्या, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचक

[Performance Indicators (PINDICS) for Elementary School Teachers]

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*
विजयन के.**

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों का निष्पादन स्तर तथा उनके मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों को जानने के लिए निष्पादन सूचकों (PINDICS, P-Performance and INDICS-Indicators) की आवश्यकता महसूस की गई। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षक के कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों का आकलन करने के लिए निष्पादन सूचक (PINDICS) बनाना आवश्यक थे। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा आयोग–2012 की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के वर्तमान निष्पादन स्तर का आकलन करने की अनुसंशा की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचकों [Performance Indicators (PINDICS) for Elementary School Teachers], के लिए वर्ष 2013 में दिशानिर्देश बनाए गए। जिसका उपयोग सेवारत शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन एवं प्रगति का आकलन करने तथा संकुल संसाधन केंद्र/खंड संसाधन केंद्र/ जिला स्तर पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु किया जा सकेगा। इस लेख में, निष्पादन सूचकों (PINDICS) को भरकर कैसे निष्पादन स्तर की गणना की जाए, इसे उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो सेवारत शिक्षकों तथा विद्यालय

* *सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110 016
** *सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110 016

प्रमुख /संकुल (Cluster) संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षकों /खंड (Block) संसाधन केंद्र के समन्वयक को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो वर्ष 2000-2001 से चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण (UEE—Universalisation of Elementary Education) हेतु यह लक्ष्य-आधारित योजना है। इसमें स्तरानुसार उपलब्धि प्राप्त करने के पश्चात् लक्ष्य संशोधित किए जाते हैं, जिन्हें तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

इस योजना के द्वारा देश के प्रत्येक बालक तक (शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संदर्भ में) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुँचाने के लिए विभिन्न पूरक योजनाओं, जैसे–पढ़े भारत, बढ़े भारत; मध्याह्न भोजन योजना आदि के माध्यम से विद्यालय हेतु आधारभूत संसाधन, बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति तथा सीखने हेतु पाठ्यपुस्तकें, गणवेश आदि नि:शुल्क प्रदान करने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण-अधिगम संसाधन, प्रशिक्षण शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवारत शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अकादमिक सहायता हेतु पर्याप्त संसाधन मुहैया कराती है। जिससे बालकों का अधिगम उपलब्धि स्तर बढ़े।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा देश के 34 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 298 जिलों के 7046 विद्यालयों के कक्षा 3 के 1,04,374 बालकों पर वर्ष 2012-13 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3-चक्र-3 [(National Achievement Survey, Class-3 (Cycle-III)] के पsरिणामों के आधार पर बालकों का निष्पादन, भाषा में 64 प्रतिशत तथा गणित में 66 प्रतिशत पाया गया।

अत: उक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के सेवारत शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं बालकों के अधिगम स्तर में सुधार की आवश्यकता है।

इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों का निष्पादन स्तर तथा उनके मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों को जानने के लिए निष्पादन सूचकों (PINDICS, P-Performance and INDICS-Indicators) की आवश्यकता महसूस की गई। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों का आकलन

करने के लिए निष्पादन सूचक (PINDICS) बनाना आवश्यक थे। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा आयोग-2012 की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के वर्तमान निष्पादन स्तर का आकलन करने की अनुसंशा की गई।

इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचकों [Performance Indicators(PINDICS) for Elementary School Teachers] के लिए वर्ष 2013 में दिशा-निर्देश बनाए गए।* जिन्हें भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू करते हुए राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतानुसार संशोधित कर क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिए गए।

शिक्षकों के निष्पादन का आकलन करते समय विद्यालय की कार्य प्रकृति एवं वहाँ की परिस्थितियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विविधता होने के कारण विद्यालय भी विविध प्रकार के हैं। ऐसी विविधता में शिक्षकों की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में, शिक्षकों के निष्पादन का आकलन एक ही प्रक्रिया एवं परीक्षण से किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा बनाए गए निष्पादन सूचकों (PINDICS) के दिशा निर्देश एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट–http://www.ncert.nic.in/pdf_files/PINDICS.pdf पर उपलब्ध हैं।

इस लेख में, निष्पादन सूचकों (PINDICS) को भरकर कैसे निष्पादन स्तर की गणना की जाए, इसे उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो सेवारत शिक्षकों तथा विद्यालय प्रमुख / संकुल (Cluster) संसाधन केंद्र के समन्वयक / नोडल प्रमुख शिक्षक/खंड (Block) संसाधन केंद्र के समन्वयक की सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

संदर्भ

PINDICS अर्थात् निष्पादन सूचकों का उपयोग शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन एवं प्रगति का आकलन करने तथा संकुल संसाधन केंद्र/खंड संसाधन केंद्र / जिला स्तर पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत 'निष्पादन मानदंड' (Performance Standard), 'विशिष्ट मानदंड' (Specific Standard) एवं 'निष्पादन सूचक' (Performance Indicator) दिए गए हैं। शिक्षकों के उनके कार्य एवं ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्रों में निष्पादन को निष्पादन मानदंड कहा गया है, इनकी संख्या सात है। निष्पादन मानदंडों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे उनमें निष्पादन करें। जिन्हें विशिष्ट मानदंड कहा गया है, जिनकी संख्या 12 है। निष्पादन

* शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची का अध्ययन करें

निष्पादन मानदंड

[7]

↓

विशिष्ट

[12]

↓

निष्पादन मानदंड

[54]

सूचक (इनकी संख्या 54 है) इन्हीं विशिष्ट मानदंडों से निकले हैं।

निष्पादन सूचक (PINDICS) शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 एवं सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क–2011 के आधार पर बनाए गए हैं। निष्पादन सूचक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 2010-11 में किए गए अध्ययन ''कक्षा-कक्ष शिक्षण पर सेवाकालीन प्रशिक्षण (INSET-In-service Training) का प्रभाव'' से प्राप्त परिणामों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर किए गए परीक्षण, राज्य स्तरीय राजकीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERTs) के अधिकारियों एवं राज्य परियोजना अधिकारियों (SPO) तथा शिक्षक प्रशिक्षकों से प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर संशोधित कर बनाए गए हैं।

निष्पादन मानदंड

निष्पादन मानदंड, कार्य निष्पादन के प्रत्येक ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्र की अपेक्षाओं को बताते हैं। इस प्रकार, निम्नलिखित निष्पादन मानदंडों की पहचान की गई है —

- विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा;
- विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ;
- सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ;
- अंतरवैयक्तिक संबंध;
- पेशागत विकास;
- विद्यालय का विकास;
- शिक्षक की उपस्थिति।

Chapter 11.indd 99 4/28/2017 10:00:08 AM

निष्पादन सूचकों (PINDICS) का उपयोग

निष्पादन सूचकों का उपयोग शिक्षकों द्वारा स्वयं के निष्पादन का आकलन तथा उच्चतर स्तर तक पहुँचने के निरंतर प्रयासों के लिए कर सकते हैं। इनका उपयोग शिक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने के लिए, पर्यवेक्षण अधिकारियों या मेंटर द्वारा आकलन तथा शिक्षक के निष्पादन में सुधार हेतु रचनात्मक फ़ीडबैक देने के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक निष्पादन सूचक के लिए चार बिंदुओं की निर्धारण मापनी (Four Point Rating Scale) में 1 से 4 तक अंक निर्धारित (Rating Point) किए गए हैं, जो निष्पादन के स्तरों को दर्शाते हैं। निर्धारण मापनी के निर्धारक बिंदु एवं उनके निर्धारक अंक इस प्रकार हैं —

- अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना – 1 (Not meeting the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास – 2 (Approaching the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना – 3 (Approached the expected standard)
- अपेक्षित मानदंड से बढ़कर – 4 (Beyond the expected standard)

यदि शिक्षक विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन के लिए नवाचारी तरीके से कार्य एवं अतिरिक्त प्रयास करता है, तो वह स्वयं को निर्धारक बिंदु अपेक्षित मानदंड से बढ़कर (4) में रख सकता है।

शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश

शिक्षकों द्वारा कम-से-कम सत्र में दो बार (एक बार पहली तिमाही के अंत में एवं दूसरी बार तीसरी तिमाही के अंत में) स्व-आकलन करना चाहिए। साथ ही, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें –

- शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी पूर्ण भरें।
- कोई भी जानकारी खाली न छोड़ें।
- प्रत्येक निष्पादन सूचक को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन पर अपनी कक्षा-कक्ष प्रक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्धारक अंक प्रदान करें।
- प्रत्येक सूचक में आपके निष्पादन के आधार पर चार बिंदुओं की निर्धारण मापनी में बिंदुवार स्वयं का निर्धारित अंक अंकित करें।
- मानदंड के प्रत्येक सूचक के अंकों को जोड़कर निष्पादन मानदंड (क्षेत्र) का कुल फ़लांक निकालें।
- अपने आकलन के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएँ। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों को भी जोड़ें, जिनमें आपको मदद की आवश्यकता है।

संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक या नोडल प्रमुख शिक्षक के लिए दिशानिर्देश

निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखते हुए संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक / नोडल प्रमुख शिक्षक/ खंड संसाधन केंद्र के समन्वयक द्वारा वर्ष में दो बार आकलन करना चाहिए –

- शिक्षकों के स्व-आकलन रिकॉर्ड का उपयोग करें।
- वास्तविक कक्षा-कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन करें।
- शिक्षकों की रिपोर्ट के लिए पूरक जानकारी प्राप्त करने हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) से चर्चा करें।
- स्व-आकलन एवं शिक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएँ।
- संबंधित शिक्षक के निष्पादन स्तर में सुधार हेतु उनसे उनकी रिपोर्ट पर चर्चा करें।
- शिक्षक का आकलन, PINDICS के साथ-साथ गुणवत्ता मॉनीटरिंग परीक्षणों (QMTs-Quality Monitoring Tools) से प्राप्त विद्यार्थी-अधिगम परिणामों, पाठ्यचर्या की पूर्णता का स्तर तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी से जोड़कर करें।
- शिक्षक निष्पादन तालिका एवं विद्यालय के सभी शिक्षकों की एकीकृत तालिका पूर्ण रूप से भरकर उन्हें संकुल संसाधन केंद्र स्तर से खंड संसाधन केंद्र में भेजें।

शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी

शिक्षक को अपनी पहचान बताने के लिए शिक्षक की पहचान संबंधी जानकारी पूर्ण रूप से भरना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत शिक्षक को विद्यालय का नाम व पता, डाइस (DISE—District Information System for Education) कोड नंबर, राज्य, जिला, खंड तथा संकुल का नाम लिखना होगा। इसके अलावा अपना नाम, अकादमिक एवं पेशागत तथा कोई अन्य योग्यता, शिक्षण अनुभव, विषयवार पढ़ाई गई कक्षाएँ, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए सेवाकालीन प्रशिक्षणों की तिथिवार संख्या तथा कोई उपलब्धियाँ, जैसे– पुरस्कार, विशेष सम्मान हो, तो ज़रूर लिखना होगा।

PINDICS तालिका

PINDICS के प्रथम दो निष्पादन मानदंडों के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट मानदंड एवं निष्पादन सूचकों हेतु निर्धारण मापनी के निर्धारक बिंदु एवं उनके निर्धारक अंकों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है —

निर्धारक अंक निम्न प्रकार हैं –

- अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना—1 (Not meeting the expected standard—1)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास—2 (Approaching the expected standard—2)
- अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना — 3 (Approached the expected standard—3)
- अपेक्षित मानदंड से बढ़कर — 4 (Beyond the expected standard—4)

विवरणात्मक आकलन एवं फ़ीडबैक

- इसके अंतर्गत शिक्षक को PINDICS के आकलन के आधार पर स्व-आकलन रिपोर्ट बनानी होगी। जिसमें स्वयं के द्वारा महसूस

निष्पादन मानदंड 1 — विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा

Performance Standard 1 — Designing Learning Experiences for Children

विशिष्ट मानदंड (Specific Standards)	**निष्पादन सूचक (Performance Indicators)**	**निर्धारक अंक (Rating Point)**	**अवलोकन* (Observation, if any)**
अधिगम अनुभवों की रूपरेखा की योजना (Planning for designing learning)	योजना के दौरान पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य संबंधित दस्तावेज़ों का उपयोग (Use(s)textbooks and other relevant documents while planning)	2	
	विद्यार्थियों के निष्पादन रिकॉर्ड्स का उपयोग (Use(s) record of students performance)	1	
	अधिगम गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए योजना (Plan(s) for engaging children in learning activities)	3	
	उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना एवं संकलित करना (Collect(s)and prepare(s) relevant teaching learning materials)	2	
निष्पादन मानदंड 2 — विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Performance Standard 2 — Knowledge and Understanding of the Subject Matter)			
विषयवस्तु का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and understanding of the content)	उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए विषयवस्तु के ज्ञान की अवधारणाओं को समझाना (Demonstrate(s) content knowledge with conceptual)	2	
	विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की ज़िम्मेदारी का ध्यान रखते हुए विषय के ज्ञान का उपयोग (Use(s) subject knowledge for making it responsive to the diverse needs of children)	2	
	निर्धारित समय में पूरा पाठ्यविवरण पूर्ण करने के लिए विषय के ज्ञान का उपयोग (Use(s) subject knowledge for competing entire syllabus within specified time)	1	
	विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारना (Correct(s) errors made by students)	2	

*अवलोकन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख या सबूत के तौर पर कुछ रिकॉर्ड हो सकते हैं।

किए गए संतोषजनक बिंदु तथा उन क्षेत्रों का उल्लेख करना होगा, जिसमें सुधार एवं मदद की आवश्यकता हो। प्रत्येक शिक्षक रिपोर्ट के अंत में स्वयं के हस्ताक्षर ज़रूर करें।

- विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक को शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट तथा स्वयं के अवलोकन के आधार पर शिक्षक के निष्पादन की विशिष्ट मानदंडों पर आधारित रिपोर्ट बनानी होगी। जिसमें शिक्षक के निष्पादन में सुधार एवं मदद हेतु की जाने वाली कार्रवाई की बिंदुवार योजना का भी उल्लेख करना होगा तथा रिपोर्ट के अंत में स्वयं के हस्ताक्षर करें।

शिक्षक निष्पादन तालिका

PINDICS की शिक्षक निष्पादन तालिका को एक शिक्षक/विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरने का उदाहरण आगे दिया गया है —

- प्रत्येक निष्पादन मानदंड के निर्धारक अंकों का जोड़ शिक्षक द्वारा भरी गई निष्पादन तालिका एवं स्वयं-आकलन रिपोर्ट, कक्षा-कक्ष अवलोकन तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से चर्चा के आधार पर होना चाहिए।
- प्रत्येक निष्पादन मानदंड के कुल निर्धारक अंकों में कुल निष्पादन सूचकों की संख्या से भाग देकर निष्पादन मानदंड के फ़लांक की गणना की जा सकती है। गणना करने पर प्राप्त परिणाम यदि 0.50 से कम या अधिक आने पर निकटतम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, जैसे – 15/8 = 1.87 ~ 2 या 86/26 = 3.30 ~ 3.
- निष्पादन मानदंडों के फलांकों का औसत संपूर्ण निष्पादन होगा। निष्पादन मानदंडों के फ़लांकों के योग में 7 (निष्पादन मानदंडों की संख्या) से भाग देकर इसकी गणना की जा सकती है। गणना करने पर प्राप्त परिणाम यदि 0.50 से कम या अधिक आने पर निकटतम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, जैसे – 17/7 = 2.42~ 2.

एक संकुल के किन्हीं पाँच प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 10 शिक्षकों द्वारा भरी गई शिक्षक की निष्पादन तालिकाओं (1) के आधार पर विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा तालिका भरने का निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है (पृष्ठ संख्या 104-105)—

एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर)

PINDICS की एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर) भरने के लिए किसी एक संकुल के किन्हीं पाँच प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 10 शिक्षकों द्वारा भरी गई शिक्षक निष्पादन तालिकाओं (तालिका 1 एवं 2) के आधार पर संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा तालिका भरने का निम्नलिखित उदाहरण (पृष्ठ संख्या 106)

शिक्षक निष्पादन तालिका 1

(शिक्षक /विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

शिक्षक का नाम :——————————

विद्यालय :——————————

वर्ष :——— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :—————

क्र.स.	**निष्पादन मानदंड (Performance Standards)**	**शिक्षक के कुल निर्धारक अंक (Consolidated Rating of Teacher)**
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा (Designing Learning Experiences for Children)	8/4 ~ 2
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and Understanding of Subject Matter)	7/4 1.75 ~ 2
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ (Strategies for facilitating learning)	86/26 =3.30 ~ 3
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध (Interpersonal Relationship)	15/8 = 1.87 ~ 2
5.	पेशागत विकास (Professional Development)	12/7 =1.71 ~ 2
6.	विद्यालय का विकास (School Development)	9/3 = 3
7.	शिक्षक की उपस्थिति (Teacher Attendance)	6/2 = 3
संपूर्ण निष्पादन (Overall Performance)		**17/7 = 2.42 ~2**

शिक्षकों की निष्पादन तालिका — 2

(विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

संकुल का नाम एवं पता :——————————

संकुल के अंतर्गत कुल विद्यालय :——————————

संकुल के अंतर्गत कुल शिक्षक :——————————

वर्ष :———— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :——————

क्र. स.	निष्पादन मानदंड (Performance Standards)	शिक्षकों के कुल निर्धारक (Consolidated Ratings of Teachers)									
		***T-1**	**T-2**	**T-3**	**T-4**	**T-5**	**T-6**	**T-7**	**T-8**	**T-9**	**T-10**
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा (Designing Learning Experiences for Children)	2	1	2	3	2	3	4	1	;2	3
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ (Knowledge and Understanding of Subject Matter)	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ (Strategies for Facilitating Learning)	3	2	2	2	3	1	3	1	2	3
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध (Interpersonal Relationship)	2	1	3	2	3	2	1	4	3	1
5.	पेशागत विकास (Professional Development)	2	3	1	1	3	2	2	2	2	3
6.	विद्यालय का विकास (School Development)	3	2	3	4	2	3	1	3	2	1
7.	शिक्षक की उपस्थिति (Teacher Attendance)	3	4	3	3	2	4	3	2	4	3
संपूर्ण निष्पादन (Overall Performance)		**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**

***T**– Teacher

एकीकृत निष्पादन तालिका 3 — संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर

(संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा भरी जाए)

संकुल का नाम एवं पता :————————

संकुल के अंतर्गत कुल विद्यालय :————————

संकुल के अंतर्गत कुल शिक्षक :————————

वर्ष :———— चक्र (प्रथम या द्वितीय) :————

क्र. स.	निष्पादन (Performance Standards)	शिक्षकों के कुल निर्धारक अंकों के आधार पर निष्पादन (Levels of Performance Based on Consolidated Ratings of Teachers				योग (Total)
		अपेक्षित मानदंड तक नहीं पहुँचना–1 (Not meeting the expected standard)	अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना का प्रयास – 2 (Approaching the expected standard)	अपेक्षित मानदंड तक पहुँचना – 3 (Approached the expected standard)	अपेक्षित मानदंड से बढ़कर – 4 (Beyond the expected standard)	
1.	विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा	II (2)	IIII (4)	III (3)	I (1)	10
2.	विषय सामग्री का ज्ञान एवं समझ	-	IIIII (5)	IIIII (5)	-	10
3.	सुविधाजनक अधिगम की विधियाँ	II (2)	IIII (4)	IIII (4)	-	10
4.	अंतरवैयक्तिक संबंध	III (3)	III (3)	III (3)	I (1)	10
5.	पेशागत विकास	II (2)	IIIII (5)	III (3)	-	10
6.	विद्यालय का विकास	II (2)	III (3)	IIII (4)	I (1)	10
7.	शिक्षक की उपस्थिति	-	II (2)	IIIII (5)	III (3)	10
संपूर्ण निष्पादन		**-**	**IIIII III (8)**	**II (2)**	**-**	**10**

दिया गया है– शिक्षकों की निष्पादन तालिकाओं के आधार पर संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक द्वारा टेली चिह्न (Tally Sign) की सहायता से एकीकृत निष्पादन तालिका भरकर संपूर्ण निष्पादन ज्ञात किया जा सकता है। यह जानकारी खंड, जिला या राज्य स्तर पर भी भेजी जा सकती है।

उदाहरणस्वरूप, दी गई एकीकृत निष्पादन तालिका-संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर (तालिका 3) से यह ज्ञात होता है कि 10 शिक्षकों में से 8 शिक्षक केवल निष्पादन स्तर, अपेक्षित मानदंड तक पहुँचने का प्रयास करने वाले हैं। अत: संकुल, खंड, जिला या राज्य स्तर पर शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने में उक्त निष्पादन मानदंडों, शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट एवं विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक की स्वयं के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट का उपयोग कर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षक सामग्री बनायी जा सकती है तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, PINDICS की एकीकृत निष्पादन तालिका (संकुल संसाधन केंद्र स्तर पर), विद्यालय प्रमुख/संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक/नोडल प्रमुख शिक्षक की स्व-आकलन रिपोर्ट एवं स्वयं के अवलोकन पर आधारित रिपोर्ट का उपयोग खंड, जिला या राज्य स्तर पर शिक्षकों के निरन्तर पेशागत विकास की योजना अर्थात् सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने तथा प्रशासनिक स्तर पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए निर्णय लेने में उपयोग किया जा सकेगा।

इसके अलावा, शिक्षकों में कौशलों का विकास करने का अवसर, पेशागत विकास, प्रशिक्षण आदि देने के लिए राज्य, जिला, खंड एवं संकुल स्तर पर विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन को उचित वातावरण मुहैया कराने की आवश्यकता है। जिसका सीधा असर बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक के निष्पादन पर पड़ेगा।

साथ ही, शिक्षकों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के भाग 24 व 29 के प्रावधानों तथा विद्यालयों के लिए विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों की अनुसूची तथा पेशागत आचार संहिता या पेशागत नैतिकता (Code of conduct or professional) का पालन करते हुए उच्चतम स्तर का निष्पादन करने का प्रयास करना होगा।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005*. नयी दिल्ली.

___. 2013. 'परफ़ोरमेंस इंडीकेटर्स (पी.आई.डी.आई.सी.एस.) फ़ॉर एलीमेंटरी स्कूल टीचर्स–गाइडलाइंस'. नयी दिल्ली.

भारत का राजपत्र. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009. संख्या-39, अगस्त 27 2009. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. 2012. *विज़न ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया – क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव*. रिपोर्ट ऑफ़ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टीट्यूड बाई ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (वोल्यूम I). डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन.

http://www.ncert.nic.in/departments/nie/esd/pdf/NAS_Class3.pdf

http://www.ssa.nic.in